भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित) (Constituted Under Indian Medicine Central Council Act, 1970)


वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा 1997-98

Annual Report and Audited Accounts
1997-98



61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी नई दिल्ली - 110058 61-65 Institutional Area, Janakpuri New Delhi-110058





भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110 058

वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10-8-71 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ। केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं:

- भारतीय चिकित्सा पद्धित यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना ।
- भारतीय चिकित्सा पद्धित की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता/मान्यता को वापिस लिये जाने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना ।
- अभारतीय चिकित्सा पद्धित को केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना ।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धित के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं । ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिसमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं ।

केन्द्रीय परिषद् ने पूर्व में विहित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के विभिन्न विषयों के पाठ्यविवरण और पाठ्यविधि के पुनरीक्षा उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

वर्ष के दौरान आयुर्वेद की चार और यूनानी की चार कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। सिद्ध शिक्षा पर शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में प्रवेश तथा शुल्क हेतु मार्ग-निर्देशों के मानक) विनियम को अनुमोदित किया।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है । भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धित में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रिजस्टर में नामाविलगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रिजस्टर को अनुरक्षित करती है और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

परिषद् द्वारा अध्ययन हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तर और पाठ्यविधि निर्धारित किए जा चुके हैं। परिषद् देश की शैक्षिक संस्थाओं में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी के सत्यापन हेतु इन महाविद्यालयों में सदस्यों का दल भेजती है। ये दल किमयों को इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन किमयों को निश्चित अविधि में पूरा करने के लिए अथवा अगले सत्र में प्रवेश बन्द करने के लिए संस्थाओं को निर्देश भेजे जाते रहे हैं। परिणामस्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धित के महाविद्यालयों के स्तर में सुधार हो रहा है।

भारतीय चिकित्सा पद्धित के महाविद्यालयों के वर्तमान स्तर का आकलन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सामूहिक परिदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालनार्थ केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण एवं साज-सज्जा हेतु उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने, हेतु वर्ष के दौरान आयुर्वेद के 108 और यूनानी के 30 महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

प्रशासनिक प्रतिवेदन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

तृतीय गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

- 1. डॉ॰ मेरी वमन रेड्डी
- 2. डॉ० शिवानन्दम
- 3. डॉ॰ गजेन्द्र भराली
- 4. डॉ॰ देवव्रत नारायण सिंह
- 5. डॉ॰ महेश्वर पांडे
- 6. डॉ॰ इन्द्रमोहन झा
- 7. डॉ॰ अलख नारायण सिंह
- 8. डॉ॰ ओमप्रकाश वशिष्ठ
- 9. डॉ॰ पटेल अरविन्द केशवलाल
- 10. डॉ॰ भूपतानी रमेशचन्द्र
- 11. डा॰ पवन कुमार वशिष्ठ
- 12. डॉ॰ देवनारायण शर्मा
- 13. डॉ॰ रुद्रमणि शर्मा

- 14. डॉ० ज्ञानचन्द
- 15. डॉ॰ जयप्रकाश नारायण
- 16. डॉ॰ एस॰ वी॰ सावदी
- 17. डॉ० के० राजगोपालन
- 18. डॉ॰ डी॰ रामनाथन
- 19. डॉ॰ रणवीर सिंह परिहार
- 20. डॉ॰ प्रमोद कुमार जैन
- 21. डॉ॰ राजेश शुक्ल
- 22. डॉ॰ सतीशदत्त गर्ग
- 23. डॉ॰ ज्ञानकुमार अहूजा
- 24. वैद्य शाहिकशन विट्ठल दास
- 25. वैद्य रमेश कृष्ण यादव
- 26. वैद्य एन. वी. सालारकर
- 27. डॉ॰ घनश्याम मिश्र
- 28. वैद्य जगजीत सिंह
- 29. डॉ॰ मुकेश वालिया
- 30. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
- 31. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
- 32. वैद्य रघुनन्दन शर्मा
- 33. डॉ॰ पी॰ नारायणन
- 34. डॉ॰ मुकेश शर्मा
- 35. डॉ॰ पातंजिल द्विवेदी
- 36. डॉ॰ वाचस्पति त्रिवेदी
- 37. डॉ॰ भृगुपति पांडेय
- 38. डॉ॰ किशोर मोहन
- 39. डॉ॰ स्वप्न कुमार भूनिया
- 40. डॉ॰ रमेश चन्द्र भट्टाचार्य
- 41. डॉ॰ एन॰ के चावला
- 42. डॉ॰ आर॰ बी॰ जैन
- 43. डॉ॰ के॰ आर॰ रामचन्द्रन
- 44. डॉ॰ पी॰ के॰ वारियर
- 45. डॉ॰ के॰ के॰ पाण्डे
- 46. डॉ॰ आनन्द स्वरूप उपाध्याय
- 47. डॉ॰ टी॰ एम॰ पवार
- 48. डॉ॰ आर॰ वी॰ सहगोरा
- 49. वैद्य दीनानाथ आर० उपाध्याय
- 50. वैद्य गोविन्द प्रसाद उपाध्याय
- 51. वैद्य रोहीदास सम्भु पाटिल

- 52. वैद्य श्री मोहन नारायण ताम्बे
- 53. डॉ॰ कैलाश चन्द्र पाधी
- 54. वैद्य रामभरोसी मिश्र
- इडॉ॰ डी॰ अथस्यराज
- 56. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण मैती
- 57. डॉ॰ टी॰ किशन
- 58. वैद्य एस० पी० भट्टाचार्य
- 59. डॉ॰ एस॰ एन॰ परचूरे
- 60. वैद्य आई संजीवा राव
- 61. वैद्य एस० के० शर्मा
- 62. वैद्य एस० के० मिश्र
- 63. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
- 64. वैद्य जी० एल० चानना
- 65. प्रो॰ कुलवन्त सिंह
- 66. प्रो० आर० भरत राजन
- 67. वैद्य श्रीराम शर्मा
- 68. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी
- 69. वैद्य संजय जनार्दन तिलक
- 70. वैद्य अब्दुल वहीद
- 71. डॉ॰ वेदव्रत शर्मा
- 72. डॉ॰ सी॰ एच॰ एस॰ शास्त्री
- 73. वैद्य हरिनारायण स्वामी
- 74. वैद्य बी॰ वैद्यनाथन
- 75. प्रो॰ ज्योर्तिमित्र
- 76. वैद्य साधना मिश्र
- 77. वैद्य बालेन्दु प्रकाश

सिद्ध

- 78. डॉ॰ वी॰ स्टेनले जोन्स
- 79. डॉ॰ एस॰ गोपालकृष्णन
- 80. डॉ॰ वी॰ अरुणाचलम
- 81. डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार

यूनानी

- 82. डॉ॰ एस॰ एस॰ रावत
- 83. हकीम फारूक अहमद अब्दुल अजीज
- 84. डॉ॰ विनोद पुण्डीर
- 85. डॉ॰ बन्सीलाल पंडित
- 86. प्रो॰ हकीम एस॰ शाजी हैदर

- 87. डॉ॰ मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्दकी
- 88. प्रो॰ हकीम अब्दुल मोबिन खान
- 89. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
- 90. हकीम सऊद अली खान
- 91. डॉ॰ के॰ शफी उल्लाह खान
- 92. हकीम शमीम अहमद
- 93. हकीम हाफिज एस० हबीबुर्हमान
- हकीम सैय्यद फैजान अहमद
- प्रो॰ जमील अहमद
- 96. डॉ॰ सैय्यद शाहबुल हक
- 97. प्रो॰ हकीम शेख मोहम्भद अरशद
- 98. डॉ॰ एम॰ए॰ लारी
- 99. हकीम अब्दला
- 100. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद
- 101. डॉ॰ अबू बकर खान
- 102. डॉ॰ मदन सरुप गुप्ता
- 103. हकीम ए०जे० खान
- 104. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
- 105. डॉ॰ रामदित्ता शर्मा
- 106. प्रो॰ एस॰ खलीफथ्युल्लाह
- 107. हकीम शेफुद्दीन अहमद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं : -
- वैद्य श्रीराम शर्मा अध्यक्ष
- वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
- डॉ॰ वी॰ अरुणाचलम उपाध्यक्ष (सिद्ध)
- प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान उपाध्यक्ष (यूनानी)
- वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा सदस्य (कार्यकारिणी समिति)
- डॉ॰ प्रमोद कुमार जैन सदस्य (कार्यकारिणी समिति) डॉ॰ शिवानन्दनम
- सदस्य (कार्यकारिणी समिति) वैद्य रघुनन्दन शर्मा
- सदस्य (कार्यकारिणी समिति) डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार
- सदस्य (कार्यकारिणी समिति)
- डॉ॰ मदन सरुप गुप्ता सदस्य (कार्यकारिणी समिति) 11. हकीम शेख मोहम्मद अरशद सदस्य (कार्यकारिणी समिति)
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य सिमितियां हैं : -
 - 1. आयुर्वेद समिति
 - 2. सिद्ध समिति
 - 3. युनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और युनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमश: ऊपर संदर्भित समितियों के सभापित हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद देती है, के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और युनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम, एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 कीं संख्या-5, के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्यों का पूर्ण प्रतिनिधत्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया :

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

ਰਿਰਿਹਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਗਿਰ ਸਟਹਾ ਵੈ ...

| विश्वपम सा | मात का ।नम्न | सदस्य | € :- |
|------------|--------------|-------|-------------------------|
| सभापति | 7 7-0 | 1. | वैद्य आई० संजीवा राव |
| उपसभापति | | 2. | वैद्य वेदप्रकाश त्यागी |
| सदस्य | - | 3. | डॉ॰ रमेश चन्द्र भूपतानी |
| सदस्य | - | 4. | डॉ॰ पी॰ नारायणन |
| सदस्य | - | 5. | डॉ॰ राजेश शुक्ला |
| सदस्य | - | 6. | डॉ॰ अलखनारायण सिंह |
| सदस्य | | 7. | डॉ॰ ज्ञान कुमार आहूजा |
| सदस्य | - | 8. | डॉ॰ ए॰ एस॰ उपाध्याय |
| सदस्य | - | 9. | डॉ॰ एस॰ के भूनिया |
| सदस्य | 700 | 10. | डॉ॰ आर॰ के॰ यादव |
| सदस्य | - | 11. | डॉ॰ के॰ सी॰ पाधी |
| सदस्य | | 12. | वैद्य अब्दुल वहीद |
| सदस्य | 37 -1 | 13. | वैद्य बी० वैद्यनाथन |
| सदस्य | - | 14. | डॉ॰ महेश्वर पाण्डे |

| सदस्य | - | 15. | डॉ॰ एस॰ गोपालकृष्णन |
|---------------------|---------------|-----|---------------------------|
| सदस्य | - // - 1 | 16. | हकीम सैयद इमामुद्दीन अहमद |
| सदस्य | - 1 | 17. | हकीम एस० शफीउल्लाह खान |
| सदस्य | e | | डॉ॰ बन्सीलालल पंडित |
| सदस्य | - | 19. | डॉ॰ गजेन्द्र भराली |
| सदस्य | _ | 20. | डॉ॰ एस॰ एस॰ रावत |
| सदस्य | | | डॉ॰ मुकेश शर्मा |
| / נפובפוווב נפובפוב | भागर्भेन । जा | | (fig.) = |

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), उपाध्यक्ष (सिद्ध) एवं उपाध्यक्ष (यूनानी) विनियम समिति के पदेन सदस्य हैं ।

पंजीयन समिति

केन्द्रीय परिषद् ने पंजीयन एवं सम्बंधित विषयों को देखने हेतु पंजीयन सिमिति का गठन किया। केन्द्रीय पंजिका का निर्माण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धित के चिकित्साध्यास को नियमित करना भी इस सिमिति के अधिकार क्षेत्र में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

| पजीयन स | मिति के निम्न | सदस्य हें:- |
|-----------------|----------------|--|
| सभापति | 1. | डॉ॰ जयप्रकाश नारायण |
| उपसभापति | 2. | डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल |
| सदस्य | 3. | डॉ॰ देवनारायण शर्मा |
| सदस्य | 4. | डॉ॰ पी॰ के॰ विशष्ठ |
| सदस्य | 5. | डॉ॰ सतीशदत्त गर्ग |
| सदस्य | 6. | डॉ॰ डी॰ रामनाथन |
| सदस्य | 7. | डॉ॰ आर॰ भरतराजन |
| सदस्य | 8. | डॉ॰ डी॰ अथस्यराज |
| सदस्य | 9. | वैद्य रोहिदास शम्भू पाटिल |
| सदस्य | 10. | डॉ॰ ज्ञान कुमार आहूजा |
| सदस्य | 11. | डॉ॰ एन॰ वी॰ सालारकर |
| सदस्य | 12. | डॉ॰ एम॰ वमन रेड्डी |
| सदस्य | 13. | डॉ॰ पातंजिल द्विवेदी |
| सदस्य | 14. | डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी |
| सदस्य | 15. | डॉ॰ महेन्द्र कुमार शर्मा |
| सदस्य | 16. | वैद्य एम० एन० ताम्बे |
| सदस्य | 17. | डॉ० विनोद पुण्डीर |
| सदस्य | 18. | वैद्य संजय जर्नादन तिलक |
| सदस्य | 19. | वैद्य जी०पी० उपाध्याय |
| सदस्य | 20. | डॉ॰ आर॰ डी॰ शर्मा |
| सदस्य | | हकीम अख्तर मसूद सिद्दकी |
| सदस्य | | हकीम सऊद अली खान |
| सदस्य | | डॉ॰ वी॰ स्टेनले जोन्स |
| | (आयुर्वेद), उप | नाध्यक्ष (सिद्ध), उपाध्यक्ष (यूनानी) पंजीयन समिति के |
| पदेन सदस्य हैं। | he line | |

वित्त समिति

परिषद् के वित्त सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए परिषद् ने वित्त समिति का गठन

कया।

| वित्त समिति के | निम्न सदस्य | 4 E :- |
|----------------|-------------|-----------------------|
| सभापति | 1. | वैद्य गौरीलाल चानना |
| | 2. | हकीम अबू बकर खान |
| उपसभापति | 3. | डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार |
| सदस्य | 4. | डॉ॰ मुकेश वालिया |
| सदस्य | | डॉ॰ के॰आर॰ रामचन्द्रन |
| सदस्य | 5. | डॉ॰ डी॰ रामनाथन |
| सदस्य | 6. | |
| सदस्य | 7. | डॉ॰ एस॰एस॰ रावत |
| सदस्य | 8. | डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह |
| सदस्य | 9. | डॉ॰ ज्ञान चन्द |
| | 10. | डॉ॰ पी॰ के॰ वारियर |
| सदस्य | 11. | वैद्य बालेन्दु प्रकाश |
| सदस्य | 12. | डॉ॰ के॰ वी॰ शाह |
| सदस्य | | वैद्य के० के० पाण्डे |
| | 13. | 40 40 10 |

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), उपाध्यक्ष (यूनानी), उपाध्यक्ष (सिद्ध) वित समिति के पदेन सदस्य हैं।

शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी)

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) की शिक्षा से सम्बन्धी समस्त कार्यों को करने के लिए गठित की गई है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधि की मान्यता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा सिमितियों के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

| सभापति | 1. वैद्य शिवकुमार मिश्र | ٧, |
|-----------|--|--------|
| पदेनसदस्य | 2. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी, उपाध्यक्ष (| आयुवद) |
| सदस्य | 3. डॉ॰ सी॰एच॰एस॰ शास्त्री | |
| सदस्य | 4. वैद्य एस०के० शर्मा | |
| सदस्य | वैद्य शाहिकशन विदुलदास | |
| सदस्य | 6. डॉ॰ जगजीत सिंह | |
| सदस्य | 7. डॉ॰ घनश्याम मिश्र | |
| सदस्य | 8. वैद्य हरिनारायण स्वामी | |
| सदस्य | 9. डॉ॰ एल॰ एन॰ मैती | |
| सदस्य | 10. वैद्य मुकेश शर्मा | |
| सदस्य | 11. प्रो॰ कुलवन्त सिंह | |
| सदस्य | 12. डॉ० रुद्रमणि शर्मा | |

| सदस्य | 13. | वैद्य दीनानाथ उपाध्याय |
|--|----------|---|
| सदस्य | 14. | डॉ॰एस॰वी॰ सावदी |
| सदस्य | 15. | डॉ॰ओ॰पी॰ वशिष्ठ |
| सदस्य | 16. | वैद्य एस० पी० भट्टाचार्य |
| सदस्य | 17. | डॉ॰आर॰सी॰ भट्टाचार्य |
| सदस्य | 18. | डॉ० के० राजगोपालन |
| सदस्य | 19. | वैद्य गौरीलाल चानना |
| सदस्य | 20. | डॉ॰डी॰ रामनाथन |
| सदस्य | 21. | प्रो० ज्योतिर्मित्र आचार्य |
| सदस्य | 22. | वैद्य ए०एस० उपाध्याय |
| सदस्य | 23. | डॉ॰ आर॰ एस॰ परिहार |
| सदस्य | 24. | डॉ॰आर॰वी॰ सहगौरा |
| सदस्य | 25. | डॉ॰ भृगुपति पाण्डे |
| सदस्य | 26. | डॉ॰ वी॰ पी॰ त्यागी |
| सदस्य | 27. | डॉ० किशोर मोहन |
| सदस्य | 28. | प्रो॰ वेदव्रत शर्मा |
| सदस्य | 29. | . डॉ॰ इन्द्रमोहन झा |
| सदस्य | 30. | डॉ॰ पातंजिल द्विवेदी |
| सदस्य | 31. | डॉ॰ वाचस्पति त्रिवेदी |
| सदस्य. | 32. | वैद्य एस० एन० परचुरे |
| | | सिद्ध |
| The last of the la | | |
| सभापति | 1. | डॉ० वी० अरुणाचलम |
| सदस्य | 2. | डॉ॰ एस॰ गोपालाकृष्णन |
| सदस्य | 3. | डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार |
| सदस्य | 4. | डॉ॰ वी॰ स्टेनले जोन्स |
| | | यूनानी |
| 10 5050 | | |
| स्भापति | 1. | प्रो॰ हकीम जमील अहमद |
| पदेन सदस्य | 2. | प्रो॰ अब्दुल मोबिन खान (उपाध्यक्ष यूनानी) |
| उपसभापति | 3. | प्रो० हकीम शहाबुल हक |
| सदस्य | 4. | प्रो० हकीम एस० शाजी हैदर |
| सदस्य | 5. | प्रो॰ हकीम एस॰ इमामुद्दीन अहमद |
| सदस्य सदस्य | 6. 7. | प्रो॰ हकीम ए॰ जे॰ खान हकीम सऊद अली खान |
| सदस्य | 8. | हकाम संजद अला खान हकीम वेदप्रकाश शर्मा |
| सदस्य | 9. | प्रो॰ हकीम शेख मोहम्मद अरशद |
| सदस्य | 10. | प्रो॰ हकीम अबू बकर खान |
| | | |

| सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य | 11. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान 12.डॉ॰एस॰ एस॰ रावत 13. हकीम बन्सीलाल पंडित 14. डॉ॰ मदन सरुप गुप्ता 15. हकीम के॰ शफीउल्ला खान 16. हकीम शमीम अहमद 17. हकीम हाफीज एस॰ हबीबुंरहमान |
|---|--|
| | वर्ष 1997-98 के दौरान निम्न बैठकें हुईं : |

| | dq 1777 70 | एक |
|-----|--|------|
| 1. | भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् | एक |
| 2. | आयुर्वेद समिति | एक |
| 3. | सिद्ध समिति | एक |
| 4. | यूनानी समिति | चार |
| 5. | कार्यकारिणी समिति | एक |
| 6. | पंजीयन समिति | दो |
| 7. | विनियम समिति | एक |
| 8. | वित्त समिति | दो |
| 9. | शिक्षा समिति (आयुर्वेद) | एक |
| 10. | शिक्षा समिति (सिद्ध) | एक |
| 11. | शिक्षा समिति (यूनानी) | दो |
| 12. | शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की उपसमिति | एक |
| 13. | विशिष्ट केन्द्र के लिए विनियम का | |
| | प्रारूप तैयार करने हेतु उपसमिति की | |
| | 19-6-97 को सम्पन्न बैठक | एक |
| 14 | आयुर्वेद वारिध (पी-एच डी॰) के विनियम | |
| | से सम्बन्धित 14-7-97 को सम्पन्न उपसमिति की बैठक | एक |
| 15 | . 21-7-97 को सम्पन्न जांच समिति की बैठक | एक |
| 16 | . 31-7-97 को विभागीय पदोन्ति समिति की बैठक | एक |
| 17 | . आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में वेदों | एक |
| | ना मंगून अंग मामिलित करने हेत 9-9-97 का सम्पन्न बठक | TYPE |
| 18 | 11-0-07 को परिदर्शन प्रपत्र संशोधित करने हतु समिति का जिला | एक |
| 19 |). भारतीय चिकित्सा में परिचर्या और भेषज पाठ्यक्रम आर | एक |
| | पाठ्यविवरण तैयार करने हेतु गठित उप-समिति की | |
| | 6-11-97 को सम्पन्न बैठक | - |
| 2 | 0. विनियम समिति द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् | एक |
| | अधिनियम, 1970 में संशोधन पर विचार करने हेतु | |
| | ्र <u> </u> | |

गठित उपसमिति की 20-12-97 को सम्पन्न बैठक

एक

| 21. अगद्तंत्र व व्यवहारायुर्वेद तथा स्वस्थवृत्त | एक |
|--|----|
| पर 12-9-97 को सम्पन्न कार्यशाला | |
| 22. 26 एवं 27-8-97 को हैदराबाद में यूनानी की कार्यशाला | एक |
| 23. 27 से 29 नवम्बर, 1997 तक रसशास्त्र एवं द्रव्यगुण पर कार्यशाला | एक |
| 24. 20 से 22-12-97 रोगनिदान एवं काय चिकित्सा पर कार्यशाला | एक |
| 25. 26 एवं 27-12-97 को नई दिल्ली में तशरीह-उल-बदन तथा मुनाफे-उल-अजा पर कार्यशाला | एक |
| 26. 25 एवं 26-2-98 को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के शल्य-शालाक्य, प्रसूतितंत्र एवं कौमारभृत्य के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला | एक |
| यूनानी तिब्ब में कामिले-तिब्बो-जराहत पाठ्यक्रम के हिफजाने सेहत-वा-तहाफुसी समाजी तिब्ब विषय पर एवं 28 फरवरी, 7998 को सम्पन्न कार्यशाला | एक |
| 28. कामिले-तिब्बो-जराहत पाठ्यक्रम के इल्मुल अदिवया एवं इल्मुलकबाला, निसवान अतफाल पर 30 एवं 31 मार्च, 1998 को कार्यशाला | एक |
| 29. 21 एवं 22 मार्च, 1998 को नई दिल्ली में (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता) पर विचारगोष्ठी | एक |
| 30. भारतीय चिकित्सा पद्धित के शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर वीडियो फिल्म तैयार करने हेतु 28-1-98 को उपसमिति की बैठक | एक |
| 31. वीडियो फिल्म के सम्बन्ध में 22-2-98 को वाराणसी में उप-समिति की बैठक | एक |

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) के महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सिम्मिलित नहीं किया गया है, परिणामतः भारतीय चिकित्सा के आयुर्वेद एवं अन्य महाविद्यालय अन्य पद्धति के महाविद्यालयों की भांति उपस्कर और विचार गोष्ठियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकते । अतः यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध किया जाय कि अपनी सूची में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों को भी सिम्मिलित करें तािक अनुदान प्राप्त करने हेतु उन्हें भी मार्ग मिल

केन्द्रीय परिषद् ने निम्न सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्णय लिया :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यह अधिसूचित करती है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सिम्मिलत अर्हताओं के धारक भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासी जो विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सांविधिक मंडलों/परिषदों में पंजीकृत हैं, को सम्बन्धित अधिनियम और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में निहित चिकित्साभ्यास करने के सभी अधिकार हैं।

किसी अन्य परिषद् द्वारा जारी अधिसूचना भारतीय चिकित्सा पद्धित के चिकित्साभ्यासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह से प्रभावी नहीं है । कई राज्य अधिनियम और सरकारी आदेश इन चिकित्साभ्यासियों को भारतीय चिकित्सा के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा में भी चिकित्साभ्यास करने का अधिकार देते हैं । यह विशेषाधिकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 17 की उपधारा 3 के अनुबन्ध (ख) में सुरक्षित हैं ।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चुने हुए सदस्यों को आयुर्वेद/यूनानी राज्य मंडल का पदेन सदस्य माना जाय ताकि नीति सम्बन्धी मामलों और पंजीयन कार्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकरुपता लाई जा सके।

आयुर्वेद

मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं :-

आयुर्वेद सिमिति ने अंकित किया कि शिक्षा सिमित (आयुर्वेद) ने स्नातकीय पाठ्यक्रम की विद्यमानता के बिना आयुर्वेद स्नातकोत्तर संस्था/विभाग की स्थापना के प्रकरण पर विचार करते समय यह निर्णय लिया कि स्नातकीय पाठ्यक्रम की विद्यमानता के बिना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है परन्तु वहां पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक साज-सज्जा होनी चाहिए । इन संस्थाओं के लिए आवश्यक साज-सज्जा की संख्या पर विचार करने के लिए निम्न सदस्यों की एक उप-सिमित बनाई गई जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए साज-सज्जा और स्नातकोत्तर संस्थान के लिए कार्मिक पद्धित का निर्णय लेगी :-

- 1. डॉ॰ सी॰ एच॰ एस॰ शास्त्री
- 2. प्रो॰ कुलवन्त सिंह
- 3. डॉ॰ घनश्याम मिश्र
- 4. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
- 5. डॉ॰ ज्योर्तिमित्र आचार्य

उपर्युक्त उप-समिति की अनुशंसाओं पर विचार किया गया और आयुर्वेद समिति तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया ।

आयुर्वेद सिमिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि सभी राज्यों के भारतीय चिकित्सा पद्धित के छात्रों को मृत्युत्तोत्तर परीक्षा सुविधा होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अपनी शक्तियों के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को अधिसूचित करे।

यह अंकित किया गया कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संचालित करने वाले कई संस्थान स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं । परिणामत: आयुर्वेद की उच्चतर शिक्षा रोगग्रस्त है और इन छात्रों द्वारा ग्राह्य शोध कार्य उचित तौर पर पूरा नहीं हो रहा है ।

केन्द्रीय परिषद् ने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि आधुनिक चिकित्सा के लिए प्रचलित दर पर भारतीय चिकित्सा पद्धित के स्नातकों को छात्रवृत्ति दी जाय।

आयुर्वेद समिति ने आयुर्वेद की कार्यशाला द्वारा पुनरीक्षित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम (संशोधन) 1994 के प्रारूप को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने पी०-एच०डी० से सम्बन्धित प्रारूप विनियम को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद समिति की अनुशंसा इन विभागों में से एक में एम०डी० (आयुर्वेद संज्ञाहरण) अर्हता के साथ एनेस्थैटिक लेक्चरर (संज्ञाहरण) का पद सृजित करने हेतु अनुमोदित किया ।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद समिति के इस निर्णय को स्वीकार किया कि भारत सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भेषज परिषद् और परिचर्या परिषद् की स्थापना करनी चाहिए । इन परिषदों की स्थापना तक यह कार्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को दिया जा सकता है ।

आयुर्वेद समिति ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रयोगशाला, अस्पताल इत्यादि की आवश्यक सुविधाओं के बिना कई संस्थान एम० डी० (आयुर्वेद) के लिए छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। एम० डी० (आयुर्वेद) के मार्ग निर्देश के लिए मानदण्डों का भी उपयुक्त रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

यह निर्णय लिया गया कि प्राध्यापक के लिए दो स्नातकोत्तर छात्रों, प्रवाचक के लिए दो और प्रवक्ता (व्याख्याता) के लिए एक का अनुसरण दृढ़ता से होना चाहिए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संस्थान में न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

समिति ने अंकित किया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न कार्यशालाओं में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा की गई :-

- 12-8-97 को पुणे में अगद्तंत्र एवं व्यवहारायुर्वेद तथा स्वस्थवृत्त पर कार्यशाला ।
- 2. 27 से 29 नवम्बर, 1997 को सीकर में रसशास्त्र और द्रव्यगुण पर कार्यशाला ।
- 3. 20 से 22 दिसम्बर, 1997 को लखनऊ में रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान तथा कायचिकित्सा पर कार्यशाला।
- 4. 25 एवं 26 फरवरी, 1998 को वाराणसी में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में शल्यशालाक्य प्रसूतितंत्र तथा कौमारभृत्य के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला ।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित संस्थानों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों का आकलन करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई।

नए महाविद्यालयों को अनुमित

- 1. श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, इन्चल ओन्दथी, तालुका-बेलगांव (कर्नाटक)
- 2. तालुका शिक्षण प्रसारक साहकारा मंडल आयुर्वेद काले ा, सिद्दकी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक)
- 3. श्री बसवेशवर विद्यावर्धक सांधा, बगलकोट, जिला बीजापुर (कर्नाटक)
- 4. श्री भारतेश एजुकेशन सोसायटी ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज, तरदल, जिला बीजापुर (कर्नाटक)
- 5. श्री एस॰ बी॰ एस॰ आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मुदरगी, जिला गडग (कर्नाटक)
- 6. वीरपुलकेशी विद्यावर्धक रुरल आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बादामी, बीजापुर (कर्नाटक)
- 7. रुरल आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बेलगाँव (कर्नाटक)
- 8. भगवान महावीर जैन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल, गजेन्द्रगढ़ (कर्नाटक)
- 9. हिमालय आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)

वर्ष 1997-98 के दौरान निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमित दी गई/ अनुमित नहीं दी गई |
|-------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| _ | इन्स्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एण्ड | 21/22-4-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 1. | रिसर्च, गुजरात, जामनगर। | | स्नातकीय/ | NO VICTORY |
| 2 | शासकोय आयुर्वेद कालेज, पटना | 29-5-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 2. | अमुथा आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, | 22-5-97 | स्नातकीय | अनुमित नहीं दी गई |
| 3. | डॉडापेठ, चित्रदुर्गा | | | |
| 4. | बापूजी आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, चित्रदुर्गा | 23-5-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी ग |
| | गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय | 3-3-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 5. | एण्ड रीसर्च सैन्टर, शिरोदा, गोवा | | | |
| , | गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मैसूर | 28-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 6. | गवनमट जायुवद नाउवारा करावा, गरूर | | स्नातकोत्तर | |
| 7 | गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बंगलीर | 29-10-97 | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई |
| 7. | न्यनम् जायुवयं नाज्यसः नास्यन् व स्तर | | स्नातकोत्तर | |
| 8. | गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल | 19-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 0. | कालेज, कोल्हापुर । | | | |
| 9. | हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद | 20-6-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 200 | महाविद्यालय, पेठ बडगांव, कोल्हापुर | | | |
| 10. | | | | |
| 10. | महाविद्यालय, कोडोली, कोल्हापुर | 21-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 11. | | 9-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी व |
| | रिसर्च, जम्मू | | | |
| 12. | | 10-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी |
| | चेरिटेबल अस्पताल, गांधीनगर, जम्मू | | | |
| 13. | | 7-6-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| | राजेन्द्र नगर, शिमोगा | | | |
| | and the second s | | | |

| क्रम | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन | स्नातकीय/ | अनुमित दी गई/ |
|------|--|--|--|--|
| सं. | | की तिथि | स्नातकोत्तर | अनुमित नहीं दी गई |
| 14. | टी.ए.एम.ई. सोसायटी आयुर्वेद कालेज, | 6-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | कोडाकट्टी भद्रावती, शिमोगा | | | |
| 15. | राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, | 16-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 300 | पपरोला, जिला कांगडा | | स्नातकोत्तर | |
| 16. | श्री धनवन्तरि आयुर्वेद कालेज एण्ड | 18-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | पं० केदारनाथ मेमोरियल आयुर्वेद | | | |
| | हास्पीटल, चण्डीगढ़ | | | |
| 17. | कृष्णाराजेन्द्रा इंडियन इन्स्टीट्यूट एण्ड रीसर्च आयुर्वेद कॉलेज, बंगलौर | 23-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 18. | एस॰ डी॰ एम॰ आयुर्वेद कॉलेज, हसन | 24-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 19. | देशभगत आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, | 1-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब | | | Alami ellette |
| 0. | माई भागो आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मुक्तसर | 2-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 1. | रूरल एज्केशनट्रस्ट आयुर्वेद मेडीकल | 3-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | कॉलेज, कोप्पल | | | |
| 2. | आयुर्वेद महाविद्यालय, पूसद | 23-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 3. | ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर | 24-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 4. | परमहंस रामकृष्ण मोनीबाबा | 25-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| | आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकली | | | |
| 5. | अलवास आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मूडबीद्रि | 26-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 6. | के॰ वी॰ जी॰ आयुर्वेद कालेज, सूलिया | 27-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 7. | एस॰एस॰एम॰डी॰ आयुर्वेद कालेज, मोगा | 5-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 3. | नालासोपारा आयुर्वेद कॉलेज, नालासोपारा | 1-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 7. | सिंदगी शान्ता बसवेश्वर आयुर्वेद | 6-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | मेडीकल कालेज, हावेरी | | | |
|). | टेम सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, होसपेठ | 7-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | डा॰ बी॰ एन॰एम॰ आयुर्वेद मेडीकल | 13-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | कॉलेज, बीजापुर | | | And Carlotte |
| | एस०वाई०एम०वी०वी० सोसायटी श्री विजय | 14-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | महन्तेश आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, इलकल | | | The state of the s |
| | दादा साहेब सरूपसिंह नायक | 11-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले | | | |
| | धुले चेरिटेबल सोसायटी आयुर्वेदिक | 10-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | महाविद्यालय, धुले | | | and a second |
| | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बोलनगिर | 13-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दो गई |
| | | 4-7-97 | | |
| | जे॰एस॰ आयुर्वेद महाविद्यालय, नडियाड | 4-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | एस॰डी॰एम॰ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद उडूप्पी | 20-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | सरना बशेश्वर आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज गुलबर्गा | 16-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 1 | हिंगुलम्बिका एजूकेशन सोसायटी | 17-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गुलबर्गा | The state of the s | ALL STATE OF THE S | 2 mg 41 .14 |

| क्रम | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई/ |
|------|--|------------|----------------|-------------------|
| सं. | | की तिथि | स्नातकोत्तर | अनुमति नहीं दी गई |
| 40. | कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड रीसर्च | 24-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 40. | सैन्टर, अकुर्डी, पुणे | | | |
| 41. | आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, मुम्बई | 30-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 42. | आयुर्वेद महाविद्यालय, हेगरी एक्सटेंशन, | 2-6-97 | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई |
| 44. | हगली | | स्नातकोत्तर | |
| 43. | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पटियाला, | 4-7-97 | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई |
| 45. | | | स्नातकोत्तर | |
| 44. | गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज, रोहतक | 9-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 45. | ए॰एल॰एन॰ राव आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा | 19-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 46. | सी०एस०एम०एस०एस० आयुर्वेद | 24-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| ٠٠. | महाविद्यालय, औरंगाबाद | | | |
| 47. | संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, | 2-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दीं गई |
| 7/ - | संगमनेर | | | 3 |
| 48. | सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर | 2-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 49. | आयुर्वेद कॉलेज, हड्पसर, पुणे | 23-6-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 50. | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, नांदेड | 20-6-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| | | 10-12-97 | | 3 |
| 51. | के॰वी॰ राव आयुर्वेद महाविद्यालय, | 27-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | बोराडी | | S. 1131. 1131. | -13 4. 14 |
| 52. | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जगतगंज, | 1-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | वाराणसी | 10 10 1000 | X.11.1.1.1.1 | -13 |
| 53. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 2-7-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 54. | सेठ चन्दनमल मुथा आयुर्वेद | 28-6-97 | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई |
| | महाविद्यालय, सतारा | | स्नातकोत्तर | |
| 55. | भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, | 27-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | इरण्डवाने, पुणे | | | |
| 56. | आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी, अहमदनगर | 23-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 57. | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बडोदा | 5-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 58. | आर्यकन्या शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ौदा | 5-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 59. | श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद | 4-7-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| | महाविद्यालय, सरदारशहर | | | |
| 0. | परसुराम पुरिया आयुर्वेद कॉलेज, सीकर | 3-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 51. | रिखबचन्द सुखन आयुर्वेद मेडीकल | 25-8-97 | स्नातकीय ' | अनुमित नहीं दी गई |
| | कॉलेज, रायचूर | | | |
| 2. | कलमाथादा पूज्या श्री वीरुपक्ष आयुर्वेद | 26-8-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| | कॉलेज, मनवीड, रायचुर | | | |
| 3. | के॰जी॰एन॰ आयुर्वेद एण्ड यूनानी | 16-8-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| | मेडीकल कॉलेज, देहरादून | | | |
| 4. | हिमालय आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बरली | 18-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 5. | श्री गुरु बाल्मीकि महर्षि आयर्वेद | 2-8-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| | मेडीकल कॉलेज, जगलूर | | 178 | 3 |

| करौलबाग, नई दिल्ली स्नातफोत्तर पोजजी० की अनुमति नहीं दो गई नहीं दो गई आयुर्वेद कॉलेज, ओलूर 17-6-97 स्नातकीय अनुमति दो गई अनुमति दो गई आयुर्वेद कॉलेज, वियुनीथुरा 16-6-97 स्नातकीय अनुमति दो गई एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज 15-7-97 स्नातकीय अनुमति दो गई एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज 15-7-97 स्नातकीय अनुमति दो गई एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज 15-7-97 स्नातकीय अनुमति दो गई एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्पोटल, बीदर अनुमति दो गई अनुमति नहीं दो गई अनुमति को लोज अनुमति नहीं दो गई स्वातकीय अनुमति दो गई व्यवयाडा एवनमिंट अयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्वातकीय अनुमति दो गई अनुमति दो गई अनुमति अनुनिद दो गई अनुमति अनुनिद दो गई अनुमति अनुनिद दो गई अनुमति दो गई अनुनिद अनुनिद दो गई अनुनिद दो गई अनुनिद अनुनिद दो गई अनुनिद अनुनिद दो गई अनुनिद दो गई अनुनिद दो गई अनुनिद अनुनिद कोलेज, स्वानिद अनुनिद दो गई अनुनिद यो गई अनुनिद दो गई अनुनिद अनुनिद दो गई अनुनिद दो गई अनुनिद अनुनिद दो गई अनुनिद दो गई अनुनिद अन | क्रम · | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन | स्नातकीय/ | अनुमित दी गई/ |
|---|-----------|--|----------|--------------|--|
| मेडीकल कॉलेज, तरदल 7. गुरुनानक आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्पीटल, मुक्तसर 8. आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करौलबाग, नई दिल्ली 7. वर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, ओल्रर 7. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, ओल्रर 7. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जिपुर्नीथुरा 7. श्री जेंच्यो आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुर्नीथुरा 7. श्री जेंच्यो आयुर्वेद मंडीकल कॉलेज १५०केक अयुर्वेद मंडीकल १५०केक व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव | H. | | की तिथि | स्नातकोत्तर | अनुमति नहीं दी गई |
| 57. गुरुनानक आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्सीटल, मुक्तसर अनुमति दी गईं प्रावकीय एण्ड हास्सीटल, मुक्तसर अनुमति दी गईं प्रावकीय, करौलवाग, नई दिल्ली पिन्छन्य करौनवाग पिन्छन्य करौनवाग पिन्छन्य करौनवाग पर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 16-6-97 स्नातकीय अनुमति दी गईं प्रावकीय अनुमति दी गईं प्रावकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमति दी गईं प्रावकीय अनुमति तहीं दी गईं अनुमति तहीं दी गईं अनुमति तहीं दी गईं प्रावकीय अनुमति तहीं दी गईं प्रावकीय अनुमति तहीं दी गईं अनुमति कहीं दी गईं अनुमति दी गईं अनुमति कहीं दी गईं अनुमति वी गईं अनुमति दी गईं अनुमति दी गईं अनुमति वी गईं अनुमति दी गईं अनुमति आयुर्वेद मेडीकल कालेज, याया अनुर्वेद महाविद्यालय, या अनुमति दी गईं अनुर्वेद महाविद्यालय, या अनुर्वेद सेडीकल कालेज, याया महाराणयि अयुर्वेद वेलेज, सावान पन्छन्य स्वाकीय अनुमति दी गईं अनुर्वेद महाविद्यालय, या महाराणयि आयुर्वेद वेलेज, सावान पन्छन्य अनुमति दी गईं स्नित्वन मुर्वेद कालेज, सावान पन्छन्य अनुमति दी गईं स्नित्वन आयुर्वेद कालेज, सावान पन्छन्य अनुमति दी गईं स्नित्वन अनुर्वेद कालेज, स्नित्व पन्छन्य अनुर्विद वेलेज, स्नित्व पन्छन्य अनुर्विद वेलेज, स्नित्व पन्छन्य अनुर्वेद वेलेज, स्नित्वेद पन्छन्य अनुर्वेद वेलेज, स्नित्वेद पन्छन्य अनुर्वेद वेलेज, स्नित्वेद पन्छन्य | 66. | Service of the servic | 21-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| पण्ड हास्पीटल, मुक्तसर अभुर्बेद एण्ड यूनानी तिब्ब्या कॉलेज, करोलवाग, गई दिल्ली स्नातकीय/ करोलवाग, गई दिल्ली स्नातकीय पी०जी० की अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई पण्ड हास्पीटल, बीदर मयूर्भंज आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्पीटल, बीदर मयूर्भंज आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्पीटल, बीदर मयूर्भंज आयुर्वेद महाविद्यालय व्यापेणडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई अनुमित कालेज, गंचम 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई अनुमित जिलेज, कोसम्बत्द 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई स्नात्य अनुमित दी गई अनुमित दी गई स्नात्य अनुमित दी गई मातिहारी अनुमित अनुमित दी गई स्नातन्य अनुमित दी गई मातिहारी अनुमित अनुमित दी गई स्वान्द अनुमित सी गई मातिहारी अनुमित अनुमित दी गई स्वान्द अनुमित अनुमित दी गई स्वान्द अनुमित अनुमित सी गई मातिहारी अनुमित अनु | | The state of the s | | | |
| 8. आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्ब्या कॉलेज, करीलवाग, नई दिल्ली स्नातकीय स्नातकीय प्रेण करीलवाग, नई दिल्ली स्नातकीय प्रेण करीलवाग, नई दिल्ली स्नातकीय प्रेण करील की अनुमित दी गई एण्ड हास्पीटल, बाँदर अनुमित दो गई अनुमित दो गई स्नातकीय अनुमित दो गई एण्ड हास्पीटल, बाँदर अनुमित नहीं दी गई अनुमित दो गई एण्ड हास्पीटल, बाँदर अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई एण्ड हास्पीटल, बाँदर अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई क्रमित ध्रावेद कॉलेज, ब्रावेद कॉलेज, ब्रावेद कॉलेज, व्यवस्य प्रचेद कॉलेज, ब्रवेद कॉलेज, व्यवस्य विज्ञ स्नातकीय अनुमित दी गई क्रमित दी गई क्रवेद क्रवेद क्रवेद कॉलेज, ब्रवेद क्रवेद | 7. | No. | 2-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| करौलबाग, नई दिल्ली करौलबाग, नई दिल्ली रनातकौष पी०जी० की अनुमित ही गई नहीं दो गई नहीं दो गई आयुर्वेद कॉलेज, अोलूर 17-6-97 स्नातकौय अनुमित दो गई पण्ड हास्मीटल, बीदर 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दो गई एण्ड हास्मीटल, बीदर 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दो गई एण्ड हास्मीटल, बीदर अनुमित दो गई पण्ड हास्मीटल, बीदर अनुमित नहीं दो गई पण्ड हास्मीटल, बीदर अनुमित नहीं दो गई स्नातकीय अनुमित नहीं दो गई स्नातकीय अनुमित नहीं दो गई स्नातकीय अनुमित नहीं दो गई स्नातकीय अनुमित दो गई अन्यवाडा 2. गवनेमेंट अनुवेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दो गई जनमित आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दो गई अनुमित दो गई अनुवेद मेडीकल कालेज, मोगा एस०जी०जी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा एस०जी०जी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मागा सहानिधालय, गया महानिधालय, गया महानिधालय, गया महानिधारो उत्तन्त्राध मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, स्नातकीय अनुमित दो गई अनुमित दो गई अनुमित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मानिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नातकीय अनुमित दो गई मानिहारो उत्तन्त्राध मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, स्नातकीय अनुमित दो गई मानिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नात वि न्यं महानिधारो अनुमित दो गई मानिहारो उत्तन्त्राध मुखर्जी कालेज, स्नात वि न्यं महानिधारो अनुमित दो गई मानिहारो उत्तन्त्राध मुखर्जी कालेज, स्नात वि न्यं महानिधारो अनुमित दो गई स्नातकीय अनुमित दो गई मानिहारो अनुमित कालेज, स्नातिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नातिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नातिहारो प्रान्तिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नातिहार प्रान्तिहारो प्रान्तिहारो व्यानन्त्र आयुर्वेद कालेज, स्नातिहारो प्रान्तिहारो | | | | | |
| नहीं दो गई नावर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, ओलूर नावर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीथुरा नावर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीथुरा नावर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीथुरा नावर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा नावर्नमेंट स्नातकीय स्नातकीय अनुमित दो गई प्रक कायुर्वेद मेडीकल कॉलेज प्रक हास्पीटल, बीदर नावर्क्षमें आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा नि-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दो गई स्मातकीय अनुमित नहीं दो गई स्मातकीय अनुमित नहीं दो गई स्मातकीय अनुमित नहीं दो गई नावर्क्षमें नाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा नि-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दो गई अनुमित नहीं दो गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम नावर्क्षमाना नावर्क्षमान | 68. | | 19-8-97 | | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY. |
| तुश. वैद्यारतम् आयुर्वेद कॉलेज, ओलूर 17-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्व-मेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीथुरा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्व-के-8 आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एव-के-8 आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एव-के-8 आयुर्वेद महाविद्यालय बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई एव-कि-8 आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर किवाज अनन्त त्रिगाठी शर्मा अयुर्वेद कॉलेज एण्ड किवाज अनन्त त्रिगाठी शर्मा अयुर्वेद कॉलेज एण्ड किवाज अनन्त त्रिगाठी शर्मा अयुर्वेद कॉलेज, जेजम अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, कोय्म्बलूर 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई सहावाज अयुर्वेद कॉलेज, त्रिरुवन्थापुरम 28-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वातकीय अनुमित वी गई स्वातकीय अनुमित दी गई अयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, व्यव्याडा अनुमित दी गई अनुमित दी अयुर्वेद कॉलेज, व्यव्याडा अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा स्वातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई अलुर्वेद मेडीकल कालेज, प्रापा अनुमित दी गई अनुमित दी गई अनुमित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, प्रापा 11-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई अनुमित आयुर्वेद कोलेज, प्रापा 11-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई मोडीहरी अयुर्वेद कोलेज, स्वात 24-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई मोडीहरी अयुर्वेद कोलेज, स्वात 24-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई मोडीहरी अयुर्वेद कोलेज, स्वात 24-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई मोदीहरी अयुर्वेद कोलेज, स्वातकीय, अनुमित दी गई स्वानन्द आयुर्वेद कोलेज, स्वात 24-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई मोदीहरी अयुर्वेद कॉलेज, इय्रेर भी-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्वानिट अयुर्वेद कॉलेज, इय्रेर भी-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्वानिट अयुर्वेद कॉलेज, इय्रेर भी-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्वानिट अयुर्वेद कॉलेज, इय्रेर भी-9-97 | | करौलबाग, नई दिल्ली | | स्नातकोत्तर | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY |
| 70. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुर्नीथुरा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई शी जे०जी० आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्मीटल, बीदर 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्मीटल, बीदर 15-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्मीटल, बीदर 14 स्थार्भज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई शी नरूसिल आयुर्वेद कॉलेज एण्ड 8-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई सिर्मच इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर किराज अनन्तत त्रिपाठी शर्मा अयुर्वेद कॉलेज, गंजम अयुर्वेद कॉलेज, गंजम अयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसान आयुर्वेद कॉलेज, त्रिश्चन्थापुरम 28-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई अनुमित सी अनुमित दी गई सहाविद्यालय गया अनुवेद महाविद्यालय गया अनुवेद कालेज, स्वात धी अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई स्वातिहाय अनुवेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्रातिहाय अनुमित दी गई स्वानिद्य आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुविद वी गई प्रातिहाय अनुविद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुविद वी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्वातकीय अनुविद वी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, इन्थेर 19-9-97 स्वातकीय अनुविद वी गई प्रातिहाय अनुवेद कालेज, सीविद | | | | | |
| 71. श्री बे०जी० आयुर्वेद महाविद्यालय घटप्रभा 16-6-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्मीटल, बीदर एण्ड हास्मीटल, बीदर महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एण्ड हास्मीटल, बीदर मम्यूर्भंज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर किराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम अनुमित नहीं दी गई मेहसाना आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बलूर उ०-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना आयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बलूर उ०-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्थाना अयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बलूर उ०-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बलूर उ०-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बलूर उ०-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बलूर उ०-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बल्ल, 29-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, बारंगल उ-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई एण्ड कार्यनेस्ट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल उ-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई व्यायमा अयुर्वेद कॉलेज, वारंगल उ-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्थानकीय अयुर्वेद कॉलेज, वारंगल उ-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई लाला लाजपतराय मेमोरियल उ-7-97 स्वातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा एस्वजीव्योठ आयुर्वेद मेडीकल कालेज, यस उ-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया उ-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया उ-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया उ-9-97 स्वातकीय अनुमित दी गई स्वाद्यार अयुर्वेद कालेज, स्वावन उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अनुमित दी गई प्राविद्यार अयुर्वेद कालेज, सोवान उ-5-97 स्वातकीय अयुर्वेद विद्यार अयुर्वेद कालेज, स्वत्येद अप्रमित दी गई स्वाविद्यार अयुर्वेद कालेज, स्वत्येद अयुर्वेद | 59. | | 17-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 72. एन०के० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्मीटल, बीदर 73. मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 74. श्री नरूसिंह नाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 75. कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 76. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 77. आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 78. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 78. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर 79. बी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 79. बी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 79. वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 79. वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 79. वा०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 79. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 79. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 79. वा०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 79. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 79. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 79. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 70. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 71. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 72. गवर्नमेंट अन्यतारी आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 73. लाला लाजपतराय मेमोरियल 74. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, श्रोत्वर्द मेडीकल कालेज, मोगा 75. स्वामी रायवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 76. अयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 77. महाविद्यालय, गया 78. रावकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद मेडीकल कालेज, थारावाड़ 78. रावकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचारी आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचारी आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचारी आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचार आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचर आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचर आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचर आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचर आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वातकीय अनुमित दी गई रावन्द्राचर आयुर्वेद कालेज, सावान 79. स्वत्वेय अनुमित दी गई | 70. | | 16-6-97 | स्नातकीय | |
| एण्ड हास्पीटल, बीदर मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई स्वर्ध इस्टीट्यूट, सम्बलपुर किवराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना अनुमित नहीं दी गई सहसाना अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ अनुमित दी गई स्वातकीय अ | 71. | | 16-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 73. मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय, बारीपाडा 9-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई १४. श्री नरूसिंह नाथ आयुर्वेद कॉलेज एण्ड 8-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर विवास अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बलूर 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, भोगा स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्नानकीय अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय अनुमित दी गई स् | 72. | | 15-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 74. श्री नरूसिंह नाथ आयुर्वेद कॉलेज एण्ड 8-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना अयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बलूर 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा स्नाति पाई स्नातकीय अनुमित दी गई अयुर्वेद मेडीकल कालेज, या प्रचेद प्रचेति पाई अयुर्वेद मेडीकल कालेज, या 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय | | एण्ड हास्पीटल, बीदर | | | |
| रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर र. कविराज अनन त्रिपाठी शर्मा 7-7-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम र. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना र. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय र. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिरुवन्थापुरम 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय र. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 29-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रराडीकोटे र. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई जवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई लाला लाजपतराय मेमोरियल 27-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा र. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, या 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया र. स्वानी राघविन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया र. सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, थारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद कालेज, या 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद कालेज, सारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी र. त्यानन्द आयुर्वेद कालेज, सावान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी र. त्यानन्द आयुर्वेद कालेज, सावान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी ग | 73. | The state of the s | 9-7-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 75. कबिराज अनन त्रिपाठी शर्मा 77-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद कॉलेज, गंजम 76. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना 77. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बत् र 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई राइडिकोटे 76. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 77. यन्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 77. स्वातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई अयुर्वेद मेडीकल कालेज, या 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद कोलेज, बारंगल 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद कोलेज, सारवाइ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद कोलेज, सारवाइ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद कोलेज, सारवाइ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, मोवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई यावर्नमेंट अप्टांग आयुर्वेद कालेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई यावर्नमेंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई यावर्नमेंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई यावर्नमेंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 74. | श्री नरूसिंह नाथ आयुर्वेद कॉलेज एण्ड | 8-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| अयुर्वेद कॉलेज, गंजम 76. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना 77. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बत्र 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रहाडीकोटे 79. वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, 29-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रहाडीकोटे 70. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 71. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 74. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 75. स्त्रामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 76. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 77. महागणपित आयुर्वेद केडीकल कॉलेज, धारवाड् 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय मुखर्जी आयुर्वेद केडीकल कॉलेज, धारवाड् 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 76. यवानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 77. यवर्नमेंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावन्नेंंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावनेंंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावनेंंट अप्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सम्बलपुर | | | |
| 76. श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 12-6-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई मेहसाना 77. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बत्र 30-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई हराडीकोटे उपल्ले गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट अयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बेलाला लाजपतराय मेमोरियल 27-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०बी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, या 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी प्रवन्तनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, इन्दीर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी अवनिद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई व्यानन्द आयुर्वेद कॉलेज, हर्नीर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रवन्निय मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, हर्नीर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रवन्निय मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, हर्नीर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रवन्तिय मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, हर्नीर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रवन्निय अनुमित कॉलेज, इन्वेद कॉलेज, इन्वे | 75. | कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा | 7-7-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| मेहसाना 7. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर 8. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, किरवन्थापुरम 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्नातकीय 9. वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, इराडीकोटे 0. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई इराडीकोटे 1. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद कॉलेज, बेरावेद विजयवाडा 5. स्वामी राघवेन्द्राचार्य विदण्डी आयुर्वेद मेडीकल कालेज, चेरावेद विजयवाडी 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, प्रया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई स्वातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | | | | |
| 7. आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बतूर 8. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, क्रियम्बतूर 28-7-97 स्नातकोय अनुमित दी गई स्नातकोय 9. वी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, इराडीकोटे 0. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट अयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई लाला लाजपतराय मेमोरियल 27-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद कॉलेज, व्यसर 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अतुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानद आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावन्द्रनाथ आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावन्द्रनाथ आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावन्द्रनाथ आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 6. | श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, | 12-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 8. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिरुवन्थापुरम | | मेहसाना | | | |
| प्रशासकीय स्नातकीय अनुमित दी गई इराडीकोटे 10. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, विकास 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 12. गवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, बक्सर 27-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 14. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, विज्ञास | 7. | | 30-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 9. बी०पी०एस० आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल, इराडीकोटे 0. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तिर आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 7. महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई स्वातिहारी 8. रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावन्द्रमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रावनेंग अनुमित दी गई | 8. | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, त्रिरुवन्थापुरम | 28-7-97 | स्नातकोत्तर/ | अनुमति दी गई |
| इराडीकोटे 0. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वन्यवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तिर आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई वजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तिर आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रातिहारी 7. महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वन्तेमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | | | स्नातकीय | |
| 10. ए०एल० गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वारंगल 26-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, 28-7-97 स्नातकीय अनुमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तिर आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद केडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई ग्रांदिश अनुमित दी गई ग्रांदिश अनुमित दी गई मातीहारी | 9. | | 29-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| ा. एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, 28-7-97 स्नातकीय अनमित दी गई विजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तिर आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई सहागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सांवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वनमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दांर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | | | | |
| विजयवाडा 2. गवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई 3. लाला लाजपतराय मेमोरियल 27-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई ग्माति सी अयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई से रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 0. | | 26-7-97 | | |
| गवर्नमेंट धन्वन्ति आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर 13-9-97 स्नातकीय अनुमित नहीं दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, खेलां प्राप्त आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्राप्त प्राप्त आयुर्वेद कालेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्राप्त प्राप्त आयुर्वेद कालेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 1. | एन०आर०शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, | 28-7-97 | स्नातकीय | अनमति दी गई |
| 3. लाला लाजपतराय मेमोरियल 27-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस॰जी॰बी॰ आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वनेमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गर्वनेमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | | | | |
| आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा 4. एस॰जी॰वी॰ आयुर्वेद मेडीकल कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल 5. स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 8. रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 2. | गवर्नमेंट धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, बक्सर | 13-9-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| एस०जी०बी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, य4-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई बेलहोंगल स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई जवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 3. | | 27-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| बेलहोंगल 5. स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सावान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दाँर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मोगा | | | |
| 5. स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी 10-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई प्रेतिन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 4. | एस०जी०वी० आयुर्वेद मेडीकल कालेज, | 24-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 7. महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 8. रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 0. गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | बेलहोंगल | | | |
| आयुर्वेद महाविद्यालय, गया 6. आयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 7. महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 8. रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 0. गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दार 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 5. | स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी | 10-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| अयुर्वेद मेडीकल कालेज, गया 11-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | | आयुर्वेद महाविद्यालय, गया | | | |
| महागणपित आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, धारवाड़ 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई रिवन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सावान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दार 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 6. | | 11-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 8. रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कालेज, 24-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमित दी गई 0. गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमित दी गई | 7. | | | | |
| मोतीहारी 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सीवान 2-5-97 स्नातकीय अनुमति दी गई 0. गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्नातकीय अनुमति दी गई | | | | | |
| 9. दयानन्द आयुर्वेद कालेज, सांवान | | | 1 | | |
| 0. गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर 19-9-97 स्तातकीय अनुमति दी गई | 9. | | 2-5-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | | The state of the s | | | - Company of the Comp |
| | | गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, उज्जैन | 20-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमित दी गई/ अनुमित नहीं दी गई |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 92. | इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, भुवनेश्वर | 17-9-97 | स्नातकीय | अनुमित नहीं दी गई |
| 93. | वी॰एस॰एस॰ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मैसुर | 21-10-97 | स्नातकीय | अनुमित नहीं दी गई |
| 94. | श्री एस॰बी॰एस॰ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज मुंदरगी | 26-10-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 95. | राजीव गांधी एजूकेशन आयुर्वेद कालेज, रोन | 25-10-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 96. | बी॰वी॰वी॰ संघ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बगलकोट | 28-10-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 97. | तालुका शिक्षण प्रसारक मंडल सिंदगी, बीजापुर | 27-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 98. | श्री बीरुपुलकेशो विद्या वर्धक समस्त रुख आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बदामी | 27-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 99. | श्री कालीदास आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बदामी | 27-10-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 100. | एस.एस.बी.ई. सोसायटी श्री शिवा योगेश्वर रूरल आयु० मेडीकल कॉलेज, इन्चल | 26-10-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 101. | कन्नड बालोग सोसायटी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, बेलगांव | 25-10-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| | भगवान महावीर जैन आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गजेन्द्रगढ़ | 27-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | पं॰ खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कालेज, भोपाल | 24-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 104. | श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद कॉलेज, अमृतसर | 23-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 105. | दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, जालन्धर | 24-10-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद | 11-12-97 | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमित दी गई |
| | हिमालय आयु॰ मेडीकल कॉलेज, बरेली | 18-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 108. | शासकीय आयु० महाविद्यालय, हैदराबाद | 26-9.97 | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |

यूनानी

मुख्य अनुशंसाएं निम्न हैं :-

चूंकि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को एक विशिष्ट केन्द्र बनाना था अत: यूनानी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को विशेषत: स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ करने की अनुमित दी जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा

पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को आवश्यक कार्यवाही तथा विचार करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा जाय ।

केन्द्रीय परिषद् ने उपर्युक्त को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद विशिष्ट केन्द्र प्रारूप विनियमों में निर्धारित मानदण्डों का अनुसरण किया जाय।

निर्णय लिया कि यदि पंजाब राज्य सरकार अथवा अन्य कोई निकाय हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा में कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तकें प्रदान करते हैं अथवा कर रहे हैं तो परिषद् पंजाब में हिन्दी माध्यम से बी॰यू०एम०एस० महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमित प्रदान कर सकेगी।

केन्द्रीय परिषद् ने नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर की कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाने का निर्णय लिया।

नए यूनानी महाविद्यालयों को अनुमति

यूनानी में कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात् निम्न संस्थानों/महाविद्यालयों को कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई:-

- 1. अल-फारुक यूनानी तिब्बी महाविद्यालय, इन्दौर ।
- 2. महर्षि चरक यूनानी मेडीकल कॉलेज, देवबन्द ।
- 3. के॰जी॰एन॰ यूनानी मैडीकल कॉलेज, देहरादून।
- 4. जुबेरिया तिब्बिया कॉलेज, जोधपुर ।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। परन्तु खेद का विषय है कि आज तक आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय नहीं है और ये महाविद्यालय चिकित्सा संकाय के अधीन कार्यरत हैं। आयुर्वेद/यूनानी महाविद्यालयों के सुचार संचालन के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सा संकाय का होना अनिवार्य है। अत: कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सांविधिक अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करते हुए आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय मृजित की जाय।

वर्ष के दौरान निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया:-

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमित दी गई/ अनुमित नहीं दी गई |
|-------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | देवबन्ट यूनानी मेडीकल कॉलेज, नयाबांस, जिला सहारनपुर । | 7-4-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| 2. | आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोलबाग, नई दिल्ली । | 10-4-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 3. | गवर्नमेंट यूनानी मेडीकल कालेज, बंगलौर। | 12-4-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |

| | | - 1 | | |
|-----|--|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 4. | अलफारूक यूनानी मेडीकल कॉलेज, | 31-5-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | इन्दौर । जामिया हमदर्द तिब्बी कॉलेज, नई दिल्ली | 20 4 07 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 5. | यूनानी मेडिकल कालेज, पुणे | 29-4-97 28-4-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 6. | स्टेट तकमिल-उल-तिब्बी | 29-5-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 7. | युनानी कॉलेज, इलाहाबाद । | 27-3-77 | CIICIANA | બારુમાત પા ગરૂ |
| 8. | सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया | 2-6-97 | स्नातकीय | अनुमित दी गई |
| | कॉलेज, बुरहानपुर । | 2/2 / 27 | - | |
| 9. | जामिया तिब्बिया देवबन्द कॉलेज, | 2/3-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | सहारनपुर । | 10/00 / 07 | - | |
| 10. | तिब्बिया कॉलेज एण्ड हास्पीटल, श्रीनगर । कश्मीर तिब्बिया कॉलेज एण्ड अस्पताल, | 19/20-6-97 | स्नातकीय स्नातकीय | अनुमित दी गई अनुमित दी गई |
| 11. | | 21/22-6-97 | स्नातकाय | अनुमात दा गई |
| | श्रीनगर । गवर्नमेंट यूनानी मेडीकल कॉलेज, चैन्नई । | 2-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 12. | महर्षि चरक आयुर्वेद/यूनानी | 30-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 13. | मेडीकल कॉलेज, देवबन्द । | 30-0-97 | Ciliana | ળાુનાત પા નર |
| 14. | जुबेरिया तिब्बिया कॉलेज, जोधपुर | 12-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 15. | इबने-सिना-तिब्बिया कॉलेज, आजमगढ़ । | 9-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 16. | राजपूताना तिब्बी कॉलेज, जयपुर | 13-6-97 | स्नातकीय | अनुमित नहीं दी गई |
| 17. | स्टेट तकमिल-तिब्ब कॉलेज, लखनऊ | 30-5-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 18. | आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, | 8-9-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| | करौलबाग, नई दिल्ली । | | | |
| 19. | के॰जी॰एन॰ यूनानी मेडीकल कॉलेज, देहरादून | 12/13-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 20. | बी॰एल॰के॰ यूनानी मेडीकल कॉलेज, | 11-8-97 | स्नातकीय | अनुमित नहीं दी गई |
| | बीज़ापुर । | | | |
| 21. | गवर्नमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद | 4/5-8-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 22. | कलकता यूनानी मेडीकल कॉलेज | 7/8-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | एण्ड होस्पीटल, कलकत्ता | | | |
| 23. | राजस्थान यूनानी मेडीकल कॉलेज, जयपुर। | 14-6-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 24. | फेकल्टी ऑफ मेडीसिन, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली । | 10-9-97 | स्नातकोत्तर | अनुमित दी गई |
| 25. | यूनानी मेडीकल कॉलेज, नांदेड | 1-6-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 26. | अहमद गरीब यूनानी मेडीकल कॉलेज, | 30-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | अक्कलकुंआ। | | | |
| 27. | गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी कॉलेज, पटना । | 14/15-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 28. | अजमल खान तिब्बी कॉलेज, | 15-9-97 | स्नातकीय/ | अनुमति दी गई |
| - | ए०एम०यू०, अलीगढ़ | | स्नातकोत्तर | |
| 29. | जैड०एच० यूनानी मेडीकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, सीवन । | 16-7-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 30. | अल्लमा-इकबाल यूनानी मेडीकल | 20 0 00 | - ^ | |
| | कालेज, मुज्जफ्फरनगर । | 19-8-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 31. | मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव, | 22/23-9-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| | नासिक । | 22123-9-91 | स्थातकाव | अर्जनात दा गई |

सिद्ध

सिद्ध स्नातकीय पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु चेन्नई में और सिद्ध चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु पलायमकोट्टई में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

यह अंकित किया गया कि डॉ॰ एम॰ जी॰ आर॰ विश्वविद्यालय चेन्नई में भूतपूर्व उपाध्यक्ष (सिद्ध) डॉ॰ व्ही सुब्रह्मण्यम की अवधि समाप्त होने के कारण उपाध्यक्ष (सिद्ध) का पद रिक्त हो गया।

सिद्ध समिति ने सर्वसम्मिति से निर्णय लिया कि सिद्ध शिक्षा समिति के उपसभापति डा॰ वी॰ अरुणाचलम केन्द्रीय परिषद् में उपाध्यक्ष (सिद्ध) के रूप में कार्य करेंगे।

निर्णय लिया कि सिद्ध सिमिति 24-4-98 को राजकीय सिद्ध मैडीकल कालेज, चेन्नई और 6-5-98 को राजकीय सिद्ध मेडिकल कालेज, पलायमकोट्टई का परिदर्शन करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि 5-5-98 को सिद्ध समिति अखिल थिरुविधमकोर सिद्ध वैद्य संगम, मुंचीरै, जिला के०के० तमिलनाडु का परिदर्शन करेगी ।

पंजीयन

यह अंकित किया गया कि कुछ राज्यों को छोड़कर मार्च, 1991 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका तैयार कर ली गई और अनुरक्षित है। अप्रैल, 1991 से मार्च 1994 तक की केन्द्रीय पंजिका तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। राज्य मंडलों से मार्च, 1998 तक की राज्य पंजिका देने का अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्रीय पंजिका तैयार की जा सके।

यह अंकित किया गया कि पंजीयन सिमिति ने आसाम, उत्तरप्रदेश और जम्मू-काश्मीर के लिए एक उपसिमिति का गठन किया है जो केन्द्रीय पंजिका तैयार करने के लिए राज्य पंजिका की प्रति न देने और पंजीयन सम्बन्धी अन्य मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धित के राज्य मंडलों, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालयों के निदेशकों और यदि संभव हो तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री से विमर्श करेगी । यह अंकित किया गया कि आसाम के लिए गठित उप-सिमिति ने आयुर्वेद चिकित्सा मंडल, आसाम के निबन्धक तथा आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आसाम सरकार, गुवाहाटी के साथ 5-5-98 को विमर्श किया । सिमिति के परिदर्शन के पश्चात् आसाम राज्य सरकार ने अपने राज्य में पंजीयन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की आसाम राज्य परिषद् का गठन किया है ।

आगे यह अंकित किया गया कि उत्तर प्रदेश के लिए गठित उपसमिति ने सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, निदेशक, भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ और निबन्धक भारतीय चिकित्सा परिषद् से 28/29-5-97 से विमर्श किया।

निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पांच वर्ष में परिचय-पत्रों का पुन: नवीनीकरण किया जाय और सम्बन्धित राज्य मंडल/परिषद् निर्धारित शुल्क लेकर चिकित्साभ्यासियों को नए परिचय-पत्र जारी करें।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य मंडल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताधारी को ही पंजीयन की स्वीकृति देवें।

यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए राज्य सरकारों के सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक और पंजीयन मंडल/परिषद् के निबन्धकों को एक पत्र लिखा जाय।

यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य मंडल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों की एक स्थानीय पंजीयन सिमित हो और उन्हें यथा अपेक्षित राज्य मंडल का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए प्राधिकृत किया गया कि पंजीयन अद्यतन है या नहीं।

यह निर्णय लिया गया कि ऐसे राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के निवासी भारतीय चिकित्सा पद्धित के चिकित्साभ्यासी जहां मंडल/परिषद् नहीं है, को राज्य मंडल के माध्यम से प्रमाण-पत्र के लिए इस परिषद् को आवेदन करना चाहिए । वे 50/- रु. की अदायगी पर भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में अपने नाम की प्रविध्ट का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें सीधे पंजीयन की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय चिकित्सा की आसाम राज्य परिषद् का गठन करने पर सचिव, आसाम सरकार का धन्यवाद करने का संकल्प लिया। यह भी संकल्प लिया गया कि परिषद् की नामावलि परिवर्तित कर राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद् करने के लिए भी परिषद् को लिखा जाय।

यह भी अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि चूंकि राज्य परिषद् का गठन अभी हुआ है, अत: आसाम राज्य के प्रतिनिधि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के तीन विद्यमान सदस्यों को नई गठित परिषद् में सम्मिलित कर लिया जाय जिससे उपयुक्त कार्य हो सकेगा।

बजट संसाधन

वर्ष 1997-1998 के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार के द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं:

| · | | गैर-योजना रु० लाखों में | योजना रु० लाखों में |
|----|---|----------------------------|------------------------|
| 1. | बजट प्राक्कलन 1997-98 (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 102.00 | 106.00 |
| 2. | बजट प्राक्कलन-वर्ष 1997-98 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) | 31.00 | 30.00 |
| 3. | संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 71.64 | 30.00 |
| 4. | संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) | 42.00 | 27.00 |
| 5. | मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान | 42.00 | 27.00 |

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाए। केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है:

| अनुसूचित जाति | | 4 |
|-----------------|---|---|
| अनुसूचित-जनजाति | - | 3 |
| विकलांग | | 2 |
| भूतपूर्व सैनिक | | 1 |

भविष्य का कार्यक्रम

- आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण पुनरीक्षा और उस सम्बन्ध में कार्यशालाओं का आयोजन करना ।
- 2. भारतीय चिकित्सा के निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की कुकुरमुत्ता वृद्धि पर रोक के लिए कदम उठाना।
- 3. भारतीय चिकित्सा के अयोग्य/अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों द्वारा अप्राधिकृत चिकित्साभ्यास पर रोक लगाना ।

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली-110002

स. ए. एम. जी11/एस.ए.आर./ के.भा.चि.प./98-99/425

दिनांक 23.2.99

> हस्ता०/ मीनाक्षी गुप्ता निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण 11)

सं. ओ. ए. 11/एस.ए.आर./ के.भा.चि.प./98-99/426

दिनांक:

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सिंहत श्री सुनील कुमार राय, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 441-रिपोर्ट (स्वा.नि.)/240-98 दिनांक 10.12.98 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभ्युर्क्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है। यह नि. ले. प. के. रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/-

अनुलग्नक : यथोपरि

निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण)

वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धित के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन वर्ष 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम, 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1997-98 के दौरान गैर-योजना के अधीन 42.00 लाख रुपये और योजना के अधीन 27.00 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

2. लेखाओं पर अभिमत

2.1 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन

परिसम्पत्ति लेखा में प्राप्तियों की कीमत दर्शाई गई हैं और उसमें बेकार, अप्रयुक्त, अप्रतिकार्य और निष्प्रयोजित परिसम्पत्तियों को निकाला नहीं गया है और पूंजीगत लेखाओं की तदनुसार कटौती के साथ अवमूल्यन भी लेखाओं में नहीं लिया गया। अत: पूंजी और परिसम्पत्ति लेखा तदनुसार बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं, अत: इससे सही चित्रांकन नहीं हो पाता।

2.2 बैंक समायोजन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 23.2.99

भारत सरकार के प्राप्तियां और अदायगी नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसार प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो सकता है जो प्रबन्धक के ध्यान में नहीं आ सकता है। ऐसे समायोजन की अनुपस्थिति में बैंक में नकद राशि और लेखाओं में कैश बुक में दर्शाए गए अन्त: शेष का सही चित्रांकन सत्यापित नहीं हो सका।

हस्ता./-

महानिदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1998 को यथा तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त को यथा तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही व उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता. /-महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 23.2.99

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के

| | | गैर-योजना | ये | जना |
|---|-----------|--------------|--------|-----------|
| प्राप्तियाँ | रार्ग | शे राशि | राशि | राशि |
| 1.4.97 को आद्य शेष | | | | |
| हस्तगत रोकड़ | 21,724 | | | |
| बैंक में नकद | 1,42,117 | 1,63,841.00 | 99,875 | 99,87 |
| वर्ष 1997-98 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार | | | | |
| कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता | | | | |
| अनुदान | | 42,00,000.00 | | 27,00,000 |
| अग्रिमों की वसूली | | | | |
| पर्व अग्रिम | 13,260 | | | |
| स्कूटर अग्रिम | 6,120 | | | |
| गृह निर्माण अग्रिम | 20,400 | 39,780.00 | | - Care |
| विविध प्रेषण | | | | |
| सामान्य भविष्य निधि | 3,80,322 | | | |
| आयकर . | 16,388 | | | |
| डाक बीमा योजना | 41,976 | 4,38,686.00 | | - |
| सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय | | | | |
| कर्मचारियों से सी॰जी॰एच॰एस॰ | | | | |
| योजना का अंशदान | 2,260.00 | | | |
| अवकाश वेतन अंशदान | 3,410.00 | | | |
| पेंशन अंशदान | 3,712.00 | | | |
| भविष्य निधि का ब्याज | 3,303.48 | | | |
| कर्मचारियों से स्टाफ कार की वसूली | 400.00 | 13,085.48 | | - |
| मान्यता शुल्क | | | | |
| फीस 1992-93 से 1996-97 | 1,45,000 | | | |
| फीस - 1997-98 | 18,78,000 | | | |
| 1997-98 में नये महाविद्यालयों से | 8,70,000 | | | |
| प्राप्त शुल्क | | | | |
| 1997-98 में अधिक प्राप्त शुल्क | 1,35,000 | 30,28,000.00 | | din E |
| अग्रेनीत शेष | | 78,83,392.48 | | 27,99,875 |

नई दिल्ली लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| | गैर-न | योजना | योज | |
|---------------------------|----------|--------------|--------|-------|
| अदायगी | राशि | राशि | राशि | राशि |
| अधिकारियों का वेतन | 36,775 | | A.C. | |
| स्थापना का वेतन | 6,08,607 | | | |
| चिकित्सा बंदी भता | 17,400 | | | |
| स्नातकोत्तर भत्ता | 2,400 | | | |
| मंहगाई भत्ता | 8,89,073 | | | |
| गृहभाटक भत्ता | 1,58,784 | | | |
| नगर प्रतिकर भत्ता | 25,776 | | | |
| अन्तरिम सहायता-I | 34,474 | | | |
| अन्तरिम सहायता-II | 52,182 | | | |
| अन्तरिम सहायता-III | 52,182 | | | |
| वाहन प्रभार भत्ता | 1,724 | | | |
| धुलाई भत्ता | 1,605 | | | |
| बोनस | 65,529 | | | |
| शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति | 1,500 | | | |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 8,447 | | | |
| के०स०स्वा० योजना अंशदान | 38,368 | | | |
| अवकाश यात्रा रियायत | 9,456 | | | |
| कर्मचारियों को मजदूरी | 29,280 | | | |
| समयोपरि भत्ता | 24,437 | | | |
| वाहन भत्ता | 5,200 | | | |
| वेतन आयोग की बकाया राशि | 2,51,836 | 23,15,035.00 | | |
| 2. आकस्मिक व्यय | | | | |
| (क) अनावर्ती व्यय | | | | |
| फर्नीचर उपस्कर | 4,598 | | 92,570 | |
| कार्यालय उपकरण | 12,005 | Wg Josephan | - | 1.07 |
| लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें | | 16,603.00 | 95,282 | 1,87, |
| अग्रेनीत शेष | | 23,31,638.00 | | 1,87 |
| PIN INI XIM | | | | |

| _ 0 | गैर-ः | योजना | यो | जना |
|----------------------|-------|-----------|------|----------|
| प्राप्तियाँ | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | 78,8 | 33,392.48 | 2 | 7,99,875 |
| डाक टिकट 1996-97 का | | 5,000.00 | 170 | 1,27,075 |
| अग्रिम | | | | |

| State of the State | - | गैर-योजना | | योजना | |
|--|----------------|--------------|-----------|---|--|
| अदायगी | राशि | राशि | राशि | राशि | |
| पीछे से लाया गया शेष | | 23,31,638.00 | | 1,87,852 | |
| (ख) आवर्ती व्यय | | | | | |
| लेखन सामग्री | 70,861 | | 38,625 | | |
| दूरभाष | 1,10,530 | | _ | | |
| डाक एवं तार | 33,114 | | 10,000 | | |
| समाचार पत्र एवं आवधिक | पुस्तकें 5,644 | | | | |
| यूनीफार्म प्रभार | 10,284 | | _ | | |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 42,700 | | | | |
| विधि सम्बन्धी व्यय | 1,01,550 | | 201 | | |
| विज्ञापन | 15,909 | | 1,11,600 | | |
| कार्यालय उपकरणों का रख | -रखाव 26,759 | | | | |
| स्टाफ कार प्रभार | 35,483 | | 100 | | |
| कम्प्यूटर का व्यय | 10,500 | | n etam_ | | |
| प्रकाशन | 2,24,510 | | _ | | |
| वाहन प्रभार | 11,964 | | | | |
| विविध प्रभार | 1,11,303 | 8,11,111.00 | 1,96,483 | 3,56,708 | |
| . यात्रा व्यय | | | | | |
| अध्यक्ष/उपाध्यक्ष | 36,007 | | _ | | |
| सचिव/कर्मचारी | 79,839 | * 6 11111 | _ | | |
| चयन/विभागीय पदोन्नति समि | | | _ | | |
| कार्यकारिणी समिति | 1,83,473 | | _ | | |
| विनियम समिति | 20,643 | | | | |
| उप-समिति | 2,60,840 | | 18,374 | | |
| परिदर्शन समिति | 11,43,824 | | _ | | |
| परिषद् के सदस्य | 4,19,666 | | | | |
| आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्य | शाला — | | 10,71,877 | | |
| विचारगोष्ठी | | 21,65,418.00 | 6,22,763 | 17,13,014 | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | Ministra | _ | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| पर्व अग्रिम | 15,600 | | | | |
| गृह निर्माण अग्रिम | 59,000 | 74,600.00 | | | |
| | 27,000 | 74,000.00 | | | |
| महाविद्यालयों की मान्यता शुल्क की वापिसी | | 30,000.00 | | | |
| अग्रेनीत शेष | | | - | | |
| SIN IKI YIY | | 54,12,767.00 | | 22,57,574 | |

| | गैर- | गैर-योजना | |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| प्राप्तिया <mark>ँ</mark> | राशि | राशि | योजना राशि राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | 78,88,392.48 | | 27,99,875 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| कुल | 78,88,392.48 | | 27,99,875 |
| | - dates | | |

| | | 9 | गैर-योजना | यो | जना |
|------|---|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| अदार | नगी | ्र _व राशि | राशि | राशि | राशि |
| | से लाया गया शेष | | 54,12,767.00 | | 22,57,574 |
| 6. | पेंशन निधि में अंशदान | | 8,80,750.00 | | _ |
| 7. | विविध प्रेषण सामान्य भविष्य निधि आयकर डाक जीवन बीमा | 3,80,322.00 16,388.00 41,976.00 | 4,38,686.00 | | |
| 8. | 31-03-1998 को अंत शेष हस्तगत रोकड़ बैंक में नकद डाक टिकटें | 63,644.00 10,85,372.48 7,173.00 | 11,56,189.48 | 5,42,301 | 5,42,30 |
| | कुल | | 78,88,392.48 | - 1917 FO | 27,99,87 |

भारतीय चिकित्सा 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के

| | | | गैर-योजना | योजना | |
|------|--------------------------------|----------|--------------|--------|------|
| व्यय | | राशि | राशि | राशि | राशि |
| 1. | वेतन एवं भत्ते | | | | |
| | अधिकारियों का वेतन | 36,775 | | | |
| | स्थापना का वेतन | 6,08,607 | | | |
| | चिकित्सा बंदी भत्ता | 17,400 | | | |
| | स्नातकोत्तर भत्ता | 2,400 | | | |
| | मंहगाई भत्ता | 8,89,073 | | | |
| | गृहभाटक भत्ता | 1,58,784 | | | |
| | नगर प्रतिकर भत्ता | 25,776 | | | |
| | अन्तरिम सहायता-I | 34,474 | | | |
| | अन्तरिम सहायता-II | 52,182 | | | |
| | अन्तरिम सहायता-Ш | 52,182 | | | |
| | वाहन प्रभार भत्ता | 1,724 | | | |
| | धुलाई भत्ता | 1,605 | | | |
| | बोनस | 65,529 | | | |
| | शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति | 1,500 | | | |
| | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 8,447 | | | |
| | के०स०स्वा० योजना अंशदान | 38,368 | | | |
| | अवकाश यात्रा रियायत | 9,456 | | | |
| | कर्मचारियों को मजदूरी | 29,280 | | | |
| | समयोपरि भत्ता | 24,437 | | | |
| | वाहन भत्ता | 5,200 | | | |
| | वेतन आयोग का बकाया | 2,51,836 | 23,15,035.00 | | - |
| 2. | आकस्मिक व्यय | | | | |
| 2. | लेखन सामग्री | 70,861 | | 38,625 | |
| | | 1,10,530 | | | |
| | दूरभाष डाक एवं तार | 33,114 | | 10,000 | |
| | समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें | 5,644 | | _ | |
| | त्तनापार पत्र एव जावावक पुराक | 2,044 | | | |

केन्द्रीय परिषद् , नई दिल्ली लिए आय और व्यय का लेखा

| | गैर-योजना | | योजना | |
|--|-----------|--------------|------------------|----|
| आय | राशि | राशि | राशि रा | शि |
| वर्ष 1997–98 के दौरान स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली | परिवार | | | |
| से प्राप्त सहायता अनुदान | 42,00,000 | | 27,00,000 | |
| घटाएँ-पूँजीगत अनुदान | 16,603 | 41,83,397.00 | 1,87,852 25,12,1 | 48 |
| विविध प्राप्तियाँ | | | | |
| कर्मचारियों से | | | | |
| के॰स॰स्वा॰ योजना का अंशदान | 2,260.00 | | | |
| अवकाश वेतन अंशदान | 3,410.00 | | | |
| पैंशन अंशदान | 3,712.00 | | | |
| भविष्य निधि पर ब्याज | 3,303.48 | | | |
| कर्मचारी से स्टाफ कार की वसूली | 400.00 | 13,085.48 | | - |
| वसूल करने योग्य मान्यता शुल्क 1997-1998 | | 36,40,000.00 | | |

| | | गैर-योजना | | योजना |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | 2,20,149 | 23,15,035.00 | 48,625 | |
| यूनीफार्म प्रभार | 10,284 | | _ | |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 42,700 | | | |
| विधि सम्बन्धी व्यय | 1,01,550 | | e 10. | |
| विज्ञापन | 15,909 | | 1,11,600 | |
| कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव | 26,759 | | | |
| स्टाफ कार प्रभार | 35,483 | | 17.000 | |
| कम्प्यूटर प्रभार | 10,500 | | _ | |
| प्रकाशन | 2,24,510 | | - | |
| वाहन प्रभार | 11,964 | | | |
| विविध प्रभार | 1,11,303 | 8,11,111.00 | 1,96,483 | 3,56,70 |
| . यात्रा प्रभार | 1 42,9.11 | | | |
| अध्यक्ष/उपाध्यक्ष | 36,007 | SALE IN | | |
| सचिव/कर्मचारी | 79,839 | | TATE IN CO. | |
| चयन/विभागीय पदोन्नति समिति | 21,126 | | ng magpya | |
| कार्यकारिणी समिति | 1,83,473 | | | |
| विनियम समिति | 20,643 | | | |
| उप-समिति | 2,60,840 | | 18,374 | |
| परिदर्शन समिति | 11,43,824 | | 10,574 | |
| केन्द्रीय परिषद् के सदस्य | 4,19,666 | | 466 | |
| आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला | 4,17,000 | | 10,71,877 | |
| विचार गोष्ठी | | 21,65,418.00 | 6,22,763 | 17,13,01 |
| . महाविद्यालयों की | | 21,00,110,00 | | 1, 1, -, - |
| मान्यता शुल्क की वापिसी | | 30,000.00 | | 1 1 2 |
| . पेंशन निधि में अंशदान | | 8,80,750.00 | | |
| . व्यय से आय की अधिकता | | 16,34,168.48 | | 4,42,42 |
| | | | | |
| कुल | | 78,36,482.48 | | 25,12,14 |
| 3.01 | | 70,00,102.10 | | 20,12,11 |

| The same of the sa | गैर-व | योजना | | |
|--|-------|-----------|------|----------|
| आय | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | 78,3 | 36,482.48 | 2 | 5,12,148 |

कुल :

78,36,482.48

25,12,148

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद 31 मार्च, 1998 को यथा तुलन पत्र

| | Ť | ार-योजना | योजना | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| दायित्व | राशि | राशि | राशि | राशि |
| सामान्य आरक्षित | | | | |
| स्थापना के दिन प्राप्त परि | मंपत्तियां | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 20,080.15 | | - |
| | 0.0. | | | |
| शासकीय अनुदान से प्राप्त | परिसपत्तिया | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 5,09,880.30 | | 5,60,906.32 | |
| विमोचन - 1996-97 | 65,503.78 | | 2,32,159.62 | |
| | 4,44,376.52 | | 3,28,746.70 | |
| | | | | 38 |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 16,603.00 | | 1,87,852.00 | |
| | 4,60,979.52 | | 5,16,598.70 | |
| वर्ष के दौरान स्थानान्तरित | | | | |
| वष क दारान स्थानान्तारत | 3,28,746.70 | 7,89,726.22 | 3,28,746.70 | 1,87,852 |
| | | | | |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली

| - | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | गै | र-योजना | योजना | |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| परिसंप | ।तियां <u> </u> | राशि | राशि | राशि | राशि |
| (T) | अनावर्तक प्रकृति | | | | |
| 1. 4 | फ्रनींचर एवं उपस्कर | | | | |
| | ात तुलन-पत्र के अंनुसार | 1,93,880.65 | | 42,687.76 | |
| | वटाएं-कार्यालय उपकरणों | 36,620.00 | | | |
| | को स्थानान्तरित | 1,57,260.65 | | 42,687.76 | |
| | बेमोचन - 1996-97 | 17,409.85 | | _ | |
| | | 1,39,850.80 | | 42,687.76 | |
| - | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 4,598.00 | | 92,570.00 | |
| | | 1,44,448.80 | | 1,35,257.76 | |
| 7 | वर्ष के दौरान स्थानान्तरित | 49,248.16 | 1,93,696.96 | 42,687.76 | 92,570 |
| | | | | | |
| 2. 7 | वातानुकूलित उपकरण | | | | |
| | ात तुलन-पत्र के अनुसार | 23,640.73 | | 26,789.80 | |
| 2 | ग्टाएं-कार्यालय | 1,300.00 | 22,340.73 | _ | |
| 3 | पकरणों का स्थानान्तरण | | | 26,789.80 | |
| f | वमोचन 1996-97 | - | | 26,789.80 | |
| . T | पुस्तकालय के लिए पुस्तकें | | | | |
| T | त तुलन-पत्र के अनुसार | 30,574.91 | | | |
| 70 | र्ष के दौरान जोड़ा गया | _ | 30,574.91 | 95,282.00 | 95,282 |
| | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| . 10 | कार्यालय उपकरण | | | | |
| ग | त तुलन-पत्र के अनुसार | 2,81,864.16 | | 4,91,428.76 | |
| 7 | गोड़े-फर्नीचर एवं उपस्कर | 2,01,001.10 | | | |
| त | था वातानुकूलित | | | | |
| 3 | पकरणों से स्थानान्तरित | 37,920.00 | | | |
| | | 37,720.00 | | | |
| | | | | | |
| 3 | मग्रेनीत शेष | 2 10 704 16 | 2 46 612 60 | 4.01.400.77 | 1.07.053 |

| | | गैर-योजना | यं | ोजना 💮 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| दायित्व | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | 8,09,806.37 | | 1,87,852 |
| | | | | |
| उपकुल | | 8,09,806.37 | Superior and | 1,87,852 |
| E TOUR STORY | | | | |
| व्यय से आय की अधिकता | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 18,75,119.00 | | 1,19,835.00 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 16,34,168.48 | 35,09,287.48 | 4,42,426.00 | 5,62,261 |
| मान्यता शुल्क | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,59,000.00 | | | |
| घटाएं-वर्ष में समायोजित | 1,13,000.00 | | | |
| | 46,000.00 | | | ko sasa |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 1,35,000.00 | 1,81,000.00 | | - |
| | | | | |

| | THE STATE OF THE S | 1 | रि-योजना | | ोजना |
|------|--|--------------|--------------|-------------|----------|
| परि | संपत्तियां | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे | से लाया गया शेष | 3,19,784.16 | 2,46,612.60 | 4,91,428.76 | 1,87,852 |
| | विमोचन 1996-97 | 48,093.93 | | 2,05,369.82 | |
| | Man at 1979 | 2,71,690.23 | | 2,86,058.94 | |
| | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 12,005.00 | | _ | |
| | | 2,83,695.23 | | 2,86,058.94 | - |
| | वर्ष के दौरान स्थानान्तरित | 2,79,498.54 | 5,63,193.77 | 2,86,058.94 | - |
| | उपकुल | | 8,09,806.37 | | 1,87,852 |
| (ख |) आवर्ती प्रकृति | | | | |
| 1. | दूरभाष | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 9,228.00 | 9,228.00 | 19,960.00 | 19,960 |
| 2. | पर्व अग्रिम | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 11,280.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 15,600.00 | | | |
| | | 26,880.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान की गई वसूली | 13,260.00 | 13,620.00 | | - |
| 3. | स्कूटर अग्रिम | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 16,170.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान वसूली | 6,120.00 | 10,050.00 | | - |
| 4. | गृह निर्माण अग्रिम | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,99,600.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 59,000.00 | | | |
| | | 258,500.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान वसूली | 20,400.00 | 2,38,200.00 | | - |
| 5. | डाक टिकट अग्रिम | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 5,000.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान विमोचित | 5,000.00 | _ | | |
| 6. | मान्यता शुल्क | | | | |
| | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 16,29,000.00 | | | |
| | घटाएं-वसूली - 1,45,000 | | | | |
| | समायोजित - 1,13,000 | 2,58,000.00 | | | |
| | | 13,71,000.00 | | | |
| | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 8,92,000.00 | 22,63,000.00 | | |
| 7. | 31-3-98 को अन्तः शेष | | | | |
| | हस्तगत रोकड़ | 63,644.00 | | - | |
| | बैंक में नकद | 10,85,372.48 | | 5,42,301.00 | 5,42,301 |
| | डाक टिकट | 7,173.00 | 11,56,189.48 | | |
| | कुल | | 45,00,093.85 | | 7,50,113 |
| | | | | | |

भारतीय चिकित्सा सामान्य 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

| प्राप्तियाँ | राशि | राशि |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| बचत खाते में 1.4.97 को आद्य शेष | | 2,24,798.28 |
| कर्मचारियों द्वारा अंशदान | 2,40,212 | |
| कर्मचारियों से ऋण की वसूली | 1,40,050 | 3,80,262.00 |
| अल्पावधि जमा की परिपक्वता | | 90,000.00 |
| बैंक से अर्जित ब्याज | 1,44,230.48 | |
| घटाएं-परिषद् के खाते में स्थानातरित | 3,303.48 | 1,40,927.00 |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भविष्य निधि प्राप्तियां एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | राशि | राशि |
|---|-------------|----------------------------|
| कर्मचारियों को अग्रिम | 2,92,900.00 | |
| कर्मचारियों की आंशिक/अन्तिम निकासी अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन | 2,96,216.00 | 5,89,116.00 1,90,000.00 |
| | | 25.00 |
| बैंक प्रभार 31-3-98 को स्टेट बैंक के बचत खाते में अन्त: शेष | | 56,846.28 |

कुल

8,35,987.28

कुल

8,35,987.28

भारतीय चिकित्सा सामान्य 31 मार्च, 1998 को यथा

| राहि | राशि | दायित्व | 1996-97 |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 14,78,248.28 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 17,43,898.28 |
| | | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | |
| | 2,40,212.00 | अंशदान | 2,37,541.00 |
| | 1,40,927.00 | ब्याज | 1,72,822.00 |
| | 18,59,387.28 | | 21,54,261.28 |
| 15,63,146.2 | 2,96,241.00 | घटाएँ-विमोचित | 6,76,013.00 |
| | | | 14,78,248.28 |
| | Elley Series | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भविष्य निधि तुलन-पत्र

| 1996-97 | परिसंपत्तियां | राशि | राशि |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| | 1. विनियोजन | | |
| | (क) विशेष जमा योजना | | Telephone months and |
| 1,70,500.00 | गत-तुलन-पत्र के अनुसार | | 1,70,500.00 |
| 1,70,500.00 | (ख) दोहरा लाभ/ अल्पावधि जमा | | |
| 13,00,000.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 9,00,000.00 | |
| 9,00,000.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 1,90,000.00 | |
| 22,00,000.00 | | 10,90,000.00 | |
| 13,00,000.00 | घटाएं : विमोचित | 90,000.00 | 10,000,000.00 |
| 9,00,000.00 | | | |
| | 2. कर्मचारियों को ऋण | | |
| 2,21,730.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,82,950.00 | |
| 1,55,900.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 2,92,900.00 | |
| 3,77,630.00 | | 4,75,850.00 | |
| 1,94,680.00 | घटाएँ-वर्ष के दौरान | 1,40,050.00 | 3,35,800.00 |
| 1,82,950.00 | की गई वसूली | | |
| 2,24,798.28 | 3. 31.3.98 को बैंक के बचत खाते में अन्तःशेष | | |
| 2,24,798.28 | | | 56,846.28 |
| | | | |
| 14,78,248.28 | कुल | | 15,63,146.28 |
| | | | |

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

16,41,530.10

कुल

| प्राप्तियाँ | सिश | राशि |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1.4.97 को बचत खाते में आद्य शेष | - And | |
| बैंक ऑफ इण्डिया | 2,06,606.40 | |
| स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | 6,049.30 | 2,12,655.70 |
| वर्ष के दौरान अंशदान | | 8,80,750.00 |
| वैंक से अर्जित ब्याज | | 1,48,124.40 |
| अल्पावधि जमा की परिपक्वता | | 4,00,000.00 |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली ग्रेच्युटी निधि प्राप्तियां एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | राशि |
|--|-------------|
| कर्मचारियों की मासिक पैंशन | 1,65,305.00 |
| कर्मचारियों की अन्तिम अदायगी | 45,923.00 |
| अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन | 8,87,960.00 |
| बैंक प्रभार | 65.00 |
| स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत खाते में 31-3-98 को अन्त: शेष | 5,42.277.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


16,41,530.10

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1998 को यथा

| 1996-97 | दायित्व | राशि | राशि |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 10,53,428.50 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 6,12,655.70 | edien i |
| 42,250.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 8,80,750.00 | |
| 40,289.20 | ब्याज | 1,48,124.40 | |
| 11,35,967.70 | | 16,41,530.10 | |
| 5,23,312.00 | घटाएँ-विमोचित | 2,11,293.00 | 14,30,237.10 |
| 6,12,655.70 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6,12,655.70 | कुल | | 14,30,237.10 |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली ग्रेच्युटी निधि तुलन-पत्र

| | 0:01 | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1996-97 | परिसंपत्तियां | राशि | राशि |
| | विनियोजन | | |
| 9,50,000.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 4,00,000.00 | |
| 3,50,000.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 8,87,960.00 | |
| | | | |
| 13,00,000.00 | May Virginia III | 12,87,960.00 | |
| 9,00,000.00 | घटाएँ - विमोचित | 4,00,000.00 | 8,87,960.00 |
| 4,00,000.00 | | | |
| 2,12,655,70 | बचत खाते में 31.3.98 का अ | तः शेष | 5,42,277. <mark>1</mark> 0 |
| 6,12,655.70 | कुल | | 14,30,237.10 |



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1997-98

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Govt. of India Gazette Notification Extraordinary Part II Section 3 (ii) dated 10.8 .71. The Central Council was reconstituted in 1984 & 1995. The main objects of the Central Council are as under:-

- To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition/withdrawal of medical qualifications in Indian Medicine.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb at Undergraduate and Post-graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education, which include curriculum and syllabus, prescribed by Central Council.

The Central Council decided to review the Curriculum & Syllabus already prescribed. It was decided to organise Workshops to review the Curriculum & Syllabus of different subjects of Ayurveda, Siddha and Unani Tibb. Accordingly, workshops are being organised for the purpose of Under-graduate & Postgraduate courses. During the year four workshops of Ayurved and four workshops of Unani have been organised. Workshop on Siddha education will be organised shortly.

The Central Council of Indian Medicine approved the Regulation named, Central Council of Indian Medicine (Norms & Guidelines for fee and guidelines for admission in colleges of Indian Systems of Medicine) Regulation.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation & maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of Central Council. As per provision of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining the Central Register in the prescribed manner, a register of Indian Medicine which is containing, the names of all persons who are enrolled on any State Register of Indian Medicine & who possess any of the recognised medical qualification included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Central Council is maintaining the Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

The Council has already prescribed minimum standards of education and syllabi for studies. To verify the actual observance of these standards the Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit the report to the Council pointing out shortcoming. Directives are being sent to the institution to remove the shortcomings within a specified period or face stoppage of admission in the next session. Resulting the standard of colleges are being improved.

To assess the present status of Indian Systems of Medicine colleges at a glance the decision to carryout mass visitation of colleges was taken by the Central Council of Indian Medicine. In compliance of the same 108 Ayurved and 30 Unani colleges were visited during the year to assess available facilities of teaching and practical training and requirements laid down by the Central Council.

ADMINISTRATIVE REPORT

COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the Third constituted Central Council: -

AYURVED

- 1. Dr. Marry Vaman Reddy
- 2. Dr. Sivanandam
- 3. Dr. Gajendra Bharali
- 4. Dr. Deovrat Narayan Singh
- 5. Dr. Maheshwar Pandey
- 6. Dr. Indra Mohan Jha
- 7. Dr. Alakh Narayan Singh
- 8. Dr. Om Prakash Vashisth

- 9. Dr. Patel Arvind Keshavlal
- 10. Dr. Ramesh Chandra Bhuptani
- 11. Dr. Pawan Kumar Vashisth
- 12. Dr. Dev Narayan
- 13. Dr. Rudramani Sharma
- 14. Dr. Gyan Chand
- 15. Dr. Jaya Prakash Narayan
- 16. Dr. SV Savadi
- 17. Dr. Rajagopalan K
- 18. Dr. D Ramanathan
- 19. Dr. Ranvir Singh Parihar
- 20. Dr. Pramod Kumar Jain
- 21. Dr. Rajesh Shukla
- 22. Dr. Satish Dutt Garg
- 23. Dr. Gyan Kumar Ahuja
- 24. Dr. Shah Kishan Vithaldas
- 25. Dr. Yadav Ramesh Krishna
- 26. Dr. NV Salgarkar
- 27. Dr. Ghanshyam Mishra
- 28. Dr. Jagjeet Singh
- 29. Dr. Mukesh Walia
- 30. Dr. Ved Prakash Tyagi
- 31. Dr. Mahendra Kumar Sharma
- 32. Dr. Raghunandan Sharma
- 33. Dr. P Narayanan
- 34. Dr. Mukesh Sharma
- 35. Dr. Patanjali Dwivedi
- 36. Dr. Vachaspati Trivedi
- 37. Dr. Bhrigupati Pandey
- 38. Dr. Kishor Mohan Sharma
- 39. Dr. Swapan Kumar Bhunia
- 40. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee
- 41. Dr. NK Chawla
- 42. Dr. RB Jain
- 43. Dr. KR Ramachandran
- 44. Dr. PK Warrier
- 45. Dr. KK Pandey
- 46. Dr. Anand Swaroop Upadhyaya
- 47. Dr. TM Pawar
- 48. Dr. RV Sohgaura
- 49. Vaidya Dinanath R Upadhyaya
- 50. Vaidya GP Upadhyaya
- 51. Vaidya Rohidas Sambhu Patil
- Vaidya Shri Mohan Narayan Tambe
 Dr. Kailash Chandra Padhi

- 54. Vaidya Ram Bharosi Mishra
- 55. Dr. D Athysaya Raj
- 56. Dr. Lakshmi Narayan Maity
- 57. Dr. T Kishan
- 58. Vaidya SP Bhattacharya
- 59. Dr. SN Parchure
- 60. Vaidya I Sanjeeva Rao
- 61. Vaidya SK Sharma
- 62. Vaidya SK Mishra
- 63. Vaidya Devendra Kumar Triguna
- 64. Vaidya GL Chanana
- 65. Prof. Kulwant Singh
- 66. Prof. R Bharat Rajan
- 67. Vaidya Shri Ram Sharma
- 68. Vaidya SK Sharma Chhangani
- 69. Vaidya Sanjay Janardan Tilak
- 70. Vaidya Abdul Wahid
- 71. Dr. Ved Vratt Sharma
- 72. Dr. CHS Shastri
- 73. Vaidya Hari Narayan Swamy
- 74. Vaidya B Vaidyanathan
- 75. Prof. Jyotir Mitra Acharya
- 76. Vaidya Sadhna Mishra
- 77. Vaidya Balendu Prakash

SIDDHA

- 78. Dr. V Stanley Jones
- 79. Dr. S Gopalakrishnan
- 80. Dr. V Arunachalam
- 81. Dr. MA Kumar

UANANI

- 82. Dr. S S Rawat
- 83. Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz
- 84. Dr. Vinod Pundir
- 85. Dr. Bansilal Pandit
- 86. Prof. Hakim S Shaji Hyder
- 87. Dr. Mohd. Akhthar Masood Siddiqui
- 88. Prof. Hakim A M Khan
- 89. Hakim Ved Prakash Sharma
- 90. Hakim Saud Ali Khan
- 91. Dr. K Shafiullah Khan
- 92. Hakim Shamim Ahmed

- 93. Hakim Hafiz S Habibur Rahman
- 94. Hakim Syed Faizan Ahmed
- 95. Prof Jamil Ahmed
- 96. Dr. Syed Shahabul Haq
- 97. Prof. Hakim Shaikh Mhod. Arshad
- 98. Dr. M A Lari
- 99. Hakim Abdullah Khan
- 100. Hakim Syed Imamuddin Ahmed
- 101. Dr. Abu Bakar Khan
- 102. Dr. Madan Sarup Gupta
- 103. Hakim AJ Khan
- 104. Hakim (Mrs.) Alia Aman
- 105. Dr. Ram Ditta Sharma
- 106. Prof. Hakim S Khaleefathullah
- 107. Hakim Saifuddin Ahmed

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of Central Council of Indian Medicine:-

| 1. Vaidya Shri Ram Sharma | President | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2. Vaidya S K S Chhangani | Vice-President(Ayurved) | |
| 3. Dr. V Arunachalam | Vice-President(Siddha) | |
| 4. Prof. Hakim AM Khan | Vice-President(Unani) | |
| 5. Vaidya Devendra Kumar Triguna | Member, Executive Committee | |
| 6. Dr. Pramod Kumar Jain | -do- | |
| 7. Dr. Sivanandam | -do- | |
| 8. Vaidya Rahunandan Sharma | -do- | |
| 9. Dr. MA Kumar | -do- | |
| 10. Dr. Madan Sarup Gupta | -do- | |
| 11. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | -do- | |

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council has the following main three Committees, namely:-

- 1. Ayurved Committee
- 2. Siddha Committee
- 3. Unani Committee

The above Committees consists of members elected under clause (a), (a) and (c) of Subsection (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 respectively.

The Vice-President for each of the Ayurved, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may give from time to time, each Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurveda, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee has been constituted in accodance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. Members of all three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani Tibb represent the Committee.

The Central Council has also constituted the following committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions:-

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee has been constituted by the Central Council to draw the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:-

| 1. Vaidya I Sanjeeva Rao | Chairman |
|--------------------------------|---------------|
| 2. Dr. Ved Prakash Tyagi | Vice-Chairma |
| 3. Dr. Ramesh Chandra Bhuptani | Member |
| 4. Dr. P Narayanan | " |
| 5. Dr. Rajesh Shukla | |
| 6. Dr. Alakh Narayan Singh | n n |
| 7. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 8. Dr. A S Upadhyaya | " |
| 9. Dr. S K Bhunia | |
| 10. Dr. R K Yadav | n |
| 11. Dr. K C Padhi | n |
| 12. Vaidya Abdul Wahid | in the second |
| 13. Vaidya B Vaidyanathan | " |
| 14. Dr. Maheshwar Pandey | " |
| 15. Dr. S Gopalakrishnan | " |
| 16. Hakim Syed Imamuddin Ahmad | |
| 17. Hakim S Shafiullah Khan | |
| A NE CLOSE STREET | |
| | |

| 18. Dr. Bansilal Pandit | |
|--------------------------|-----|
| 19. Dr. Gajendra Bharali | " |
| 20. Dr. S S Rawat | " - |
| 21. Dr. Mukesh Sharma | " |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Regulation Committee.

REGISTRATION COMMITTEE

The Central Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to registration and matters related thereto: The preparation of Central Register of Indian Medicine and to regulate practice in ISM is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:-

| 1. Dr. Jayaprakash Narayan | Chairman |
|----------------------------------|--|
| 2. Dr. A K Patel | Vice-Chairman |
| 3. Dr. Dev Narain Sharma | Member |
| 4. Dr. P K Vashisth | n e |
| 5. Dr. Satish Dutt Garg | ii - |
| 6. Dr. D Ramanathan | " |
| 7. Dr. R Bharathrajan | n |
| 8. Dr. D Asthyaraj | " |
| 9. Vaidya Rohidas Shambhu Patil | 0 |
| 10. Dr. Gyan Kumar Ahuja | n |
| 11. Dr. N V Salgarkar, | |
| 12. Dr. M.Vaman Reddy | n . |
| 13. Dr. Patanjali Dwivedi | ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", " |
| 14. Dr. Vachaspati Trivedi | " |
| 15. Dr. Mahendra Kumar Sharma | |
| 16. Vaidya MN Tambe | 11 |
| 17. Dr. Vinod Pundir | Ü |
| 18. Vaidya Sanjay Janardan Tilak | 11, |
| 19. Vaidya G P Upadhyaya | 11 |
| 20. Dr. R D Sharma | n |
| 22. Hakim Akhtar Masood Siddiqui | " |
| 23. Hakim Saud Ali Khan | |
| 24. Dr. V Stanley Jones | 7 n |
| | |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Registration Committee

FINANCE COMMITTEE

The Central Council constituted the Finance Committee to look into the financial matters of the Central Council.

The following are the members of Finance Committee:-

| 1. Vaidya G L Chanana | Chairman |
|----------------------------|---------------|
| 2. Hakim Abu Bakar Khan | Vice-Chairman |
| 2. Hakim Abu Bakai Khan | Member |
| 3. Dr. MA Kumar | " " |
| 4. Vaidya Mukesh Walia | 0 |
| 5. Dr. K R Ramachandran | " |
| 6. Dr. D Ramanathan | |
| 7. Dr. S S Rawat | |
| 8. Dr. D N Singh | n . |
| 9. Dr. Gyan Kumar Ahuja | - " |
| 9. Dr. Gyan Kumar Proje | " |
| 10. Dr. P K Warrier | |
| 11. Vaidya Balendu Prakash | 11 |
| 12. Dr. K V Shah | |
| 13. Vaidya K K Pandey | |
| | |

President, Vice-President (Ayurved), Vice-President (Siddha), Vice-President (Unani) are the ex-officio members of Finance Committee.

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees constituted to deal with all matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively as well as to consider the proposal for recognition of degrees awarded by various Universities. The following are the members of the Education Committee of Ayurved, Siddha and Unani:

AYURVEDA

| 1. Vaidya SK Mishra | Chairman |
|------------------------------------|--|
| 2. Vaidya SKS Chhangani V.P. (Ay.) | Ex-officio member |
| 3. Dr. C H S Shastry | Member |
| | Marie |
| 4. Vaidya S K Sharma | " |
| 5. Vaidya Shah Kishan Vithaldas | State of the state |
| 6. Vaidya Jagjeet Singh | |
| 7. Vaidya Hari Narayan Swamy | " |
| 8. Dr. L N Maity | " |
| 9. Vaidya Mukesh Sharma | The state of the s |
| 10. Prof. Kulwant Singh | |

| 11. Dr. Rudramani Sharma | Member |
|---|--|
| 12. Vaidya Dinanath R Upadhyaya | " |
| 13. Dr. S V Savadi | The state of the s |
| 14. Dr. O P Vashisth | |
| 15. Vaidya S P Bhattacharya | " |
| 16. Dr. R C Bhattacharya | |
| 17. Dr. K Rajgopalan | " |
| 18. Vaidya Gauri Lal Chanana | |
| 19. Dr. D Ramanathan | The Williams |
| 20. Prof. Jyotir Mitra Acharya | |
| 21. Vaidya A S Upadhyaya | Walley Barrier |
| 22. Dr. R S Parihar | 0 100 |
| 23. Dr. R V Sohgaura | |
| 24. Dr. Bhrigupati Pandey | The state of the s |
| 25. Dr. V P Tyagi | |
| 26. Dr. Kishor Mohan Sharma | |
| 27. Prof. Vedvrat Sharma | |
| 28. Dr. Indra Mohan Jha | Company of the compan |
| 29. Dr. Patanjali Dwivedi | |
| 30. Dr. Vachaspati Trivedi | " The same of the |
| 31. Vaidya S N Parchure | " |
| CIDDIIA | |
| SIDDHA | |
| 1. Dr. V Arunachalam | Chairman |
| 2. Dr. S Gopala Krishnan | Member |
| 3. Dr. MA Kumar | |
| 4. Dr. V Stanley Jones | n . |
| | |
| UNANI | |
| | |
| 1. Prof. Hakim Jamil Ahmed | Chairman |
| 2. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan, Vice-President | Ex-officio Member |
| (Unani) | |
| 3. Prof. Hakim Shahabul Haq | Vice-Chairman |
| 4. Prof. Hakim S Shaji Hyder | Member |
| 5. Prof. Hakim S Imamuddin Ahmed | n |
| 6. Hakim A J Khan | Ü |
| 7. Hakim Saud Ali Khan | |
| 8. Hakim Ved Prakash Sharma | |
| 9. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | |
| 10. Prof. Hakim Abu Bakar Khan | |
| 11. Hakim (Mrs.) Alia Aman | 0 |
| 12. Dr. S S Rawat | w |
| 12. 51. 5 5 14.114 | |

| 13. Hakim Bansilal Pandit | Member |
|---------------------------------|--------|
| 13. Hakim Sarun Gunta | |
| 14. Dr. Madan Sarup Gupta | 11 |
| 15. Hakim K Shafiulla Khan | " |
| 16. Hakim Shamim Ahmed | |
| 17 Hakim Hafiz S Habibur Rahman | " " |

During the year 1997-98 the following meetings were held:-

| n or r Marina | One |
|--|------|
| 1. Central Council of Indian Medicine | One |
| 2. Ayurved Committee | One |
| 3. Siddha Committee | One |
| 4. Unani Committee | 2000 |
| 5. Executive Committee | Four |
| 6. Registration Committee | One |
| 7. Regulation Committee | Two |
| 8. Finance Committee | One |
| 9. Education Committee (Ayurved) | Two |
| 10. Education Committee (Siddha) | One |
| 11. Education Committee (Unani) | One |
| 12. Meeting of Sub-committee of | |
| Education Committee (Ayurved) | Two |
| 13. Meeting of Sub-committee to Draft Regulation | |
| for Centre of Excellence held on 19.6.97. | One |
| 14. Meeting of Sub-committee regarding Ph.D. | |
| Regulation held on 14.7.97. | One |
| 15. Enquiry Committee meeting held on 21.7.97. | One |
| 16. DPC/Selection Committee meeting held | |
| on 31.7.97. | One |
| 17. Meeting of inclusion of relevant portion of | |
| Vedas in the Syllabus of Ayurveda held | |
| on 9.9.97. | One |
| 18. Meeting of Visitation Proforma Committee | |
| held on 11.9.97. | One |
| 19. Sub-committee meeting to prepare the | |
| Syllabus on Nursing Course and Pharmacy | |
| Course in Indian Medicine held on 6.11.97. | One |
| 20. Meeting of Sub-Committee constituted by | |
| Regulation Committee to consider the | |
| amendment in IMCC Act, 1970. | One |
| 21. Workshop on Agadtantra & Vyavharayurved | |
| and Swasthyritt held on 12 8 97 | |

- and Swasthvritt held on 12.8.97.

 22. Workshop of Unani held on 26 & 27.8.97 at Hyderabad for finalising the Curriculum and Syllabus of Post-graduate Course of Unani Tibb.

 23. Workshop on Rasashastra & Dravyaguna held on 27 to 29.11.97.

- 24. Workshop on Rognidan & Kayachikitsa held on 20-22.12.97.
- 25. Workshop on Tashreehul Badan and Munafe-ul-Aza held on 26th & 27th December 1997 at New Delhi.
- Workshop to review the Syllabus of Shalya, Shalakya, Prasutitantra & Kaumarbhritya of Ayurvedacharya Course held on 25th & 26th February 1998.
- 27. Workshop for Hifzane Sehat-wa-Tahaffuzi Samaji subject of Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani Tibb held on 27th & 28th February 1998 at Lucknow.
- 28. Workshop on Ilmul Advia & Ilmul Qabala Niswan wa Atfal of Kamil-etib-o-Jarahat Course held on 30th & 31th March 1998.
- Seminar on Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics held on 21 & 22.3.98 at New Delhi.
- 30. Meeting of Sub-Committee regarding preparation of video film on education aspects of ISM on 28.1.98.
- 31. Meeting of Sub-committee regarding video film held on 26.2.98 at Varanasi.

The Central Council noted that the College of Indian Systems of Medicine (Ayurved/Siddha/Unani) have not been included in the list of University Grants Commission resulting which the Ayurved and other colleges of Indian Medicine could not get the financial aid from UGC for equipment and Seminar etc. equivalent to other system colleges. It was, therefore, decided that the UGC might be requested to include the colleges of ISM in its list to give them a way to get the grant.

The Central Council decided to issue a public notice as follows: -

"Central Council of Indian Medicine notify that the practitioners of Indian Medicine possessing qualifications included in Schedules of Indian Medicine Central Council Act, 1970 and registered with statutory Boards/Councils of different States and UTs enjoy all rights of practice mentioned in the respective acts and notifications issued by the State Government/Central Government from time to time.

Notifications issued by any other Council cannot in any way affects the right of practitioners of Indian Systems of Medicine. Such State Acts and Government orders make these practitioners entitled to practice modern medicine also in addition to Indian Medicine. This privilege conferred on them is protected under Clause (b) of Sub-section 3 of Section 17 of the IMCC Act. 1970".

The Central Council decided that all State Governments may be requested that the elected members of the Central Council of Indian Medicine of the respective State may be treated as Ex-officio members of the State Boards of

Ayurved/Unani so that consideration in policy matters and uniformity in registration work may be maintained at State and National level.

AYURVED

The salient features of the recommendation are as under:-

Ayurved committee noted that Education Committee (Ayurved) while discussing the issue of establishment of Post-graduate Institute/Department of Ayurved without the existence of Under-graduate course decided that the Post-graduate course might be conducted where Under-graduate course does not exist but necessary infrastructure for Post-graduate course should be there. For consideration of quantum of infrastructure to be available in these institutes, a Sub-committee consisting of the following members was constituted to decide the infrastructure of Post-graduate course and staffing pattern for Post-graduate institute:

- 1. Dr. C H S Shastry
- 2. Dr. Kulwant Singh
- 3. Dr. Ghanshyam Mishra
- 4. Vaidya Ved Prakash Tyagi
- 5. Dr. Jyotir Mitra Acharya

The recommendations of above sub-committee was considered and approved by Ayurved Committee as well as by Central Council of Indian Medicine.

The Ayurved Committee agreed to the proposal that 'Post-mortum facility' should be available to all the ISM students of all the States. It was also decided that the Central Council of Indian Medicine under their power might notify this proposal.

It was noted that many institutions conducting Post-graduate training are not paying Postgraduate stipend resulting which the higher education of Ayurved is suffering and research work accepted by these students is not being completed properly.

The Central Council decided to write the State Government/Central Government to pay the stipend to the I.S.M. graduates at the rates prevailing for the counterparts i.e. modern medicine

The Ayurved Committee approved the reviewed draft of Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) (Amendment) Regulation, 1994 in the Workshop of Ayurved.

Central Council approved the recommendations of Ayurved Committee to create the post of Anaesthetist as Lecturer (Sangyaharan) in one of these departs ments with the qualification as MD (Ayurved Sangyaharan).

Central Council agreed to the decision of Ayurved Committee that Government of India should establish separate Pharmacy Council and Nursing Council for Indian Systems of Medicine. Till such Councils constituted this work can be given to Central Council of Indian Medicine.

The Ayurved Committee noted that many institutions where scholars are admitted for MD (Ayurved) having required facilities of Laboratory, hospitals etc. as per norms of Central Council of Indian Medicine, the norms for guides for MD (Ayurved) is also not properly followed.

To restrict the number of students for admission in Post-graduate Course, it was decided that two post-graduate student for Professor, two for Reader and one for Lecturer should be strictly followed and CCIM ensure availability of minimum standard in the institution.

The Committee noted that the Syllabus of Ayurvedacharya Course has been reviewed in different Workshop as per following detail: -

- 1. Workshop on Agadtantra & Vyavharayurved and Swasthavritta held on 12.8.97 at Pune.
- 2. Workshop on Rasashastra & Dravyaguna held on 27th to 29th November 1997 at Sikar.
- 3. Workshop on Rogvigyan & Vikriti Vigyan and Kayachikitsa held on 20-21.12.97 at Lucknow.
- 4. Workshop to review the syllabus of Shalya, Shalakya, Prasutitantra and Kaumarbhritya of Ayurvedacharya course held on 25-26.2.98 at Varanasi.

The Central Council after assessing the minimum standards available at the following institutions for starting Ayurvedacharya course in conformity with the Minimum Standards and Requirements laid down by the Central Council granted permission for conducting Ayurvedacharya Course: -

PERMISSION TO NEW COLLEGES

- 1. Shri Shivayogeshwar Rural Ayurved Medical College, Inchal, Saundathi, Tq. Belgaum (Karnataka).
- 2. Taluka Shikshan Prasarak Sahakara Mandal Ayurved Medical College, Sindhagi, Distt. Bijapur (Karnataka).

- 3. Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha, Bagalkot, Distt. Bijapur (Karnataka).
- 4. Shri Bhartesh Education Society Gramin Ayurved College, Terdal Distt.
- 5. Shri SBS Ayurved Medical College, Mundargi, Distt. Gadag (Kamataka).
- 6. Veerpulikeshi Vidyavardhak Samast Rural Ayurved Medical College, Badami, Bijapur (Karnataka).
- 7. Rural Ayurved Medical College, Ashok Nagar, LIG III, Belgaum (Karnataka).
- 8. Bhagwan Mahavir Jain Ayurved Medical College & Hospital, Gajendragarh (Karnataka).
- 9. Himalaya Ayurved Medical College, Bareilly (UP).

THE FOLLOWING AYURVED COLLEGES WERE VISITED **DURING THE YEAR 1997-98**

| S.No. | Name of the College | Date of visitation | UG/PG | Permitted/Not permitted |
|-------|---|--------------------|-------------|----------------------------|
| 1. 1 | nstitute of Post-graduate Training | 21/22.4.97 | PG | Permitted |
| 2. (| & Research, Gujarat, Jamnagar Govt. Ayurved College, Patna Amrutha Ayurved Medical College, | 29.5.97 22.5.97 | UG/PG UG | Permitted Not Permitted |
| | Doddapet, Chitradurga Bapuji Ayurved Medical College, | 23.5.97 | UG | Not permitted |
| 5. | Chitradurga Gomantak Ayurved Mahavidyalaya | 3.3,97 | UG | Permitted |
| | & Research Centre, Shiroda, Goa. Govt.Ayurved Medical College, | 28.10.96 | UG/PG | Permitted |
| | Mysore Govt.Ayurved Medical College, Bangalore | 29.10.96 | UG/PG | Permitted |
| 8. | Ganga Education Society Ay. Medical | 19.6.97 | UG | Permitted |
| 9. | College, Kolhapur Hanuman Shikshan Prasarak Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Peth | 20.6.97 | UG | Permitted |
| 10. | Vadegaon, Kolhapur Yashwant Shikshan Prasarak Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Kodoli, | 21.6.97 | UG | Permitted |
| 11. | Kolhapur Shri Sain Chartitable Trust for Higher Education Research, Jammu | 9.6.97 | UG | Not Permitte |
| 12. | Gurunanak Medical Institute & Charitable Hospital, Gandhinagar, Jammu. | 10.6.97 | UG | Not Permitte |

| | Bapuji Ayurved Medical College, Shimoga | 7.6.97 | UG | Permitted | |
|-----|---|---------|-------|--------------|---|
| 14. | | 6.6.97 | UG | Permitted | |
| 15. | Rajiv Gandhi Govt. Ay. College, Paprola | 16.6.97 | UG/PG | Permitted | |
| 16. | Shri Dhanwantri Ay. College & Pt. Kedarnath Memorial Ayurved Hospital, Chandigarh | 18.6.97 | UG | Permitted | |
| 17. | Krishnarajendra Indian Institute & Research Ayurved College, Bangalore | 23.6.97 | UG | Permitted | |
| | SDM Ayurved College, Hasan | 24.697 | UG | Permitted | |
| | Deshbhagat Ay. Medical College, Mandi, Gobindgarh, Punjab. | 1.7.97 | UG | Permitted | |
| 20. | Mai Bhago Ayurved Medical College Muktsar | 2.7.97 | UG | Permitted | |
| | Rural Education Trust Ayurved Medical College, Koppal | 3.6.97 | UG | Permitted | |
| | Ayurved Mahavidyalaya, Pusad | 23.6.97 | UG | Permitted | |
| | Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur | 24.6.97 | UG | Permitted | |
| 24. | Paramhans Ramkrishan Monibaba Ayurved Mahavidyalaya, Chikli | 25.6.97 | UG | Not permitte | |
| 25. | Alvas Ayurved Medical College, Moodbidri | 26.6.97 | UG | Permitted | |
| 26. | KVG Ayurved Medical College, Sulliya | 27.6.97 | UG | Permitted | |
| | SSMD Ayurved College, Moga | 5.7.97 | UG | Permitted | |
| 28. | Nalasopara Ayurved College Nalasopara | 1.7.97 | UG | Permitted | |
| 29. | Sindagi Shanta basaveshwar Ayurved Medical College, Haveri | 6.6.97 | UG | Permitted | |
| 30. | TAME Society Ay. Medical College, Hospet | 7.6.97 | UG | Permitted | |
| 31. | Dr. BNM Ayurved Medical College, Bijapur | 13.6.97 | UG | Permitted | |
| 32. | SYMVV Society Sri Vijay Mahantesh Ay. Medical College, | 14.6.97 | UG | Permitted | 1 |
| 33. | Dada Sahib Sarup Singh Naik Ayurved Mahyavidyalaya, Dhule | 11.6.97 | UG | Permitted | |
| 34. | Dhule Charitable Society Ay. Mahavidyalaya, Dhule | 10.6.97 | UG | Permitted | |
| | | | | | |

| | Govt. Ayurved College, Balangir | 13.6.97 & 4.7.97 | UG | Not Permitted |
|-------------|--|---------------------|--------------|---|
| | J S Ay. Mahavidyalaya, Nadiad | 4.7.97 | UG | Permitted |
| 36. | SDM College of Ayurved | 20.6.97 | UG | Permitted |
| 37. | Mahavidyalaya, Udupi | | | |
| | Sharna Basaveshwar Ayurved | 16.6.97 | UG | Not permitted |
| 38. | Medical College, Gulbarga | 10.0.77 | 00 | Tot permitted |
| | Medical College, Odloaiga | 17.6.97 | UG | Permitted |
| 39. | Hingu Lambika Education Society Ayurved Medical College, Gulbarga | 17.0.57 | 00 | 1 crimitied |
| | Ayurved Medical College, Guibarga | 24.6.97 | UG | Permitted |
| 40. | College of Ayurved & Research | 24.0.97 | 00 | Cimitted |
| | Centre, Akurdi, Pune | 30.6.97 | UG | Permitted |
| 41. | Ayurved Mahavidyalaya, Sion | 30.0.97 | 00 | remitted |
| | Mumbai | 2 6 07 | LIC/DC | Permitted |
| 42, | Ayurved Mahavidyalaya, Heggeri, | 2.6.97 | UG/PG | Permitted |
| | Hubli | 1.7.07 | HO/PO | D |
| | Govt. Ayurved College, Patiala | 4.7.97 | UG/PG | Permitted |
| 44. | Gaur Brahman Ay. College, | 9.6.97 | UG | Permitted |
| | Rohtak | | 110 | |
| 45. | ALN Rao Ayurved | 19.6.97 | UG | Permitted |
| | Mahavidyalaya, Koppa | | 2. 13/4 11/3 | |
| 46. | CSMSS Ay. Mahavidyalaya | 24.6.97 | UG | Permitted |
| | Aurangabad | | | THE DAY OF |
| 47. | Sangamsevabhai Trust Ayurved | 2.7.97 | UG | Permitted |
| | Mahavidyalaya, Sangamner | | | |
| 48. | Siddhakala Ay. Mahavidyalaya | 2.7.97 | UG | Permitted |
| | Sangamner | | | |
| 49. | Ayurved College, Hadapsar, Pune | 23.6.97 | PG | Permitted |
| 50. | Govt. Ayurved College, Nanded | 20.6.97 | PG | Permitted |
| - | | 10.12.97 | | |
| 51. | KV Rao Ayurved College, Boradi | 27.6.97 | UG , | Permitted |
| 52. | Govt. Ayurved College, Jagatgani, | 1.7.97 | UG | Permitted |
| | Varanasi | | | |
| 53, | Banaras Hindu University, | 2.7.97 | PG | Permitted |
| | Varanasi | | | |
| 54. | Seth Chandanmal Mutha Ay. | 28.6.97 | UG/PG | Permitted |
| | Wahayidyalaya Satara | | | |
| 55. | Bharti Vidyapeeth College of | 27.6.97 | UG | Permitted |
| | Yulved Franchyane Pune | | | |
| 56. | Ayurved Mahavidvalava, Rahuri | 23.6.97 | UG | Permitted |
| | | 20.0., | | |
| S 7. | Govt Av College Panada | 5.7.97 | UG | Permitted |
| 28" | Aryakanya Shuddha Ayurved | 5.7.97 | UG | Permitted |
| | | | | 311111111111111111111111111111111111111 |
| 29, | Shri Bhanwar Lal Dugar Ay. | 4.7.97 | UG | Permitted |
| | Mahavidyalya, Sardarshahar | | 50 | California |
| | y a cartan situata | | | |

| 60 | Parsurampuriya Ay. College, Sikar | 3.7.97 | UG | Dormis . | 10007 UC F | Name (Mark) |
|-------|-------------------------------------|--|----------|--|---|----------------|
| 61 | . Rikhabchand Sukhani Ay. Medical | 25.8.97 | UG | Permitted | | Permitted |
| | College, Raichur | 23.0.71 | 00 | Not permitted | | Downittad |
| 62 | . Kalmathada Pujya Shri Virpaksha | 26.8.97 | UG | Nie | | Permitted |
| | Ay. Medical College, Manvi, Raichur | 20.8.97 | OG | Not permitted | Mahaganpati Ay, Wedicai 24.9.97 | Permitted |
| 63 | . KGN Ay. & Unani Medical | 16 9 07 | LIC | | College Dharwad | V. 1 |
| 0.5 | College, Dehradun | 16.8.97 | UG | Not Permitted | of Kayindianen | Permitted |
| 64 | | 10000 | | | Medical College, Motinari | |
| 04 | . Himalaya Ay. Medical College, | 18.8.97 | UG | Permitted | | Permitted |
| 65 | Bareilly | -2-00-00-00000000000000000000000000000 | | | 90. Govt. Ashtang Ayurved College, 19.9.97 UG F | Permitted |
| 03 | . Shri Guruvalmiki Maharshi Ay. | 2.8.97 | UG | Not Permitted | Indore | |
| 71 00 | Medical College, Jaglur | | | | | Permitted |
| 66 | . Shri Bhartesh Education Gramin | 21.8.97 | UG | Permitted | 92. Indira Gandhi Memorial Ayurved 17.9.97 UG | Not permitted |
| | Ay. Medical College, Terdal | | | | College, Bhubaneshwar | |
| 67 | . Gurunanak Ay. Medical College, | 2.9.97 | ÜG | Permitted | 93. VSS Ayurved Medical College, 21.10.97 UG | Not permitted |
| 0. | & Hospital, Muktsar | | | | Mysore | |
| 68 | Ayurved & Unani Tibbia | 19.8.97 | UG & | Permitted | | Permitted |
| | College, Karol Bagh, New Delhi | | PG | Not permitted | College, Mundargi | |
| 69 | Vaidyaratnam AY, College, Ollur | 17.6.97 | UG | Permitted | | Not permitted |
| | Govt. Ay. College, Tripunithura | 16.6.97 | UG | Permitted | College, Ron | |
| | Shri JG Ayurved Medical College, | 16.6.97 | UG | Permitted | | Permitted |
| | Ghatprabha | | | reminied | College, Bagalkot | |
| 72. | NK Jabashetty Ay. Medical | 15.7.97 | UG | Permitted | | Permitted |
| | College & Hospital, Bidar | 13.7.77 | 00 | reminted | Mandal Sindgi,, Bijapur | |
| 73. | Mayurbhanj Ay. Mahavidyalaya, | 9.7.97 | UG | Nat a same itted | | ermitted |
| | Baripada Baripada | 3.1.91 | UG | Not permitted | Samast Rural Ayurved Medical | 8 1 |
| 74 | Srinarusinghnath Ay.College | 9707 | 110 | D. W. J. | College, Badami | |
| 1000 | & Research Institute, Sambalpur | 8.7.97 | UG | Permitted | | Not Permittee |
| 75 | Kvj. Anantha Tripathy Sharma | 7.7.07 | 110 | 2.0 | College, Badami | tot i crimitee |
| 10. | | 7.7.97 | UG | Not permitted | 1/60 | Permitted |
| 76 | Ayurved College, Ganjam | 10 / 00 | 70.023 | Land of the same | Yogeshwar Rural Ayurved | crimited |
| 70. | Shri Balahanuman Ayurved | 12.6.97 | UG | Not permitted | Medical College, Inchal | |
| 77 | Mahavidyalaya, Mehsana | Service Control of the Control of th | | | | Permitted |
| 77. | Ayurved College, Coimbatore | 30.7.97 | UG | Permitted | Medical College, Belgaum | eiiiiiied |
| /8. | Govt. Ayurved College, | 28.7.97 | UG/PG | Permitted | | Permitted |
| | Thiruvananthapuram | | | | Medical College, Gajendragarh Medical College, Gajendragarh | elillited |
| 79. | V.P.S. Varier Ayurved College, | 29.7.97 | UG | Permitted | | |
| | Kottakal, Edarikode | | | | Medical College Physical 24.10.97 UG F | ermitted |
| 80. | AL Govt. Ay. College, Warangal | 26.7.97 | UG | Permitted | Medical College, Bhopal Shri Laxminarayan Ayurved 23.10.97 UG F | |
| 81. | NR Shastry Government | 28.7.97 | UG | Permitted | College, Amritsar | ermitted |
| | Ayurved College, Vijaywada | | | | 10) | |
| 82. | Govt. Dhanwantry Ay. College | 13.9.97 | UG | Not Permitted | Dayanand Ayurved College, 24.10.97 UG F | Permitted |
| | Buxar | C. Carona Sut | | 36-1-100 | 106. Govt Assert C. II. | |
| 83. | Lala Lajpat Rai Memorial Ay. | 27.9.97 | UG | Permitted | 106. Govt. Ayurved College, Osmanabad 11.12.97 UG/PG F Himalaya Ay. Med. College, 18.8.97 UG F | |
| | Medical College, Moga | - Andrews Polit | | 7 17 17 17 17 17 17 | | Permitted |
| 84. | | 24.9.97 | UG | Permitted | 108 C | |
| | Bailhongal | i was start | 13 W - L | 755 TA | Govi. Ay. College, Hyderabad 26.9.97 UG/PG F | ermitted |
| | | | | | | |

UNANI

The salient features of the recommendations made are as under:

Unani Committee decided to start Post-graduation as a special case at National Institute of Unani Medicine, Bangalore to be made a Centre of Excellence. It was also decided to write a letter to the Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM&H for necessary action and consideration.

The Central Council agreed to the above and decided that the norms laid down by Central Council in its draft Regulation i.e. Centre of Excellence for Ayurved be followed.

Decided that if State Government of Punjab or any other body provides providing Text Books in Hindi or in regional language for the purpose of teaching of Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) course the Council will permit to start BUMS college at Punjab in the Hindi medium.

The Central Council decided that the Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree of Nagpur University, Nagpur be included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

PERMISSION TO NEW UNANI COLLEGES

After assessing the minimum standards and requirements for conducting Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council, the Central Council granted permission for starting the Kamile-tib-o-Jarahat Course at the following institutions/colleges:-

- 1. Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore
- 2. Maharshi Charak Unani Medical College, Deoband
- 3. KGN Unani Medical College, Dehradun
- 4. Zuberiya Tibbia College, Jodhpur.

The Central Council noted that Ayurved and Unani Medical Colleges and affiliated to Calcutta University but it is regretted that Faculty of Ayurved/Unani Medicine does not exist till date and these colleges are being run under Faculty of Medicine for smooth functioning of Ayurved/Unani Medical Colleges it is essential to establish Faculty of Ayurveda and Unani Medical colleges in Calcutta University. It was, therefore, decided to request the authorities concerned to Calcutta University to create Faculty of Ayurved and Unani Medicine is making necessary amendments for Statue Ordinance of Calcutta University.

the following Unani Colleges were visited during the year.-

| Th | e following Unam Coneges were visited | | Joan | |
|-------|---|--------------------|-------|-------------------------|
| S.No. | Name of the College | Date of visitation | UG/PG | Permitted/Not permitted |
| 1 | Deoband Unani Medical College, Nayabans Saharanpur | 7.4.97 | UG | Permitted |
| 2 | Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh New Delhi. | 10.4.97 | UG | Permitted |
| 3 | Govt. Unani Medical College, Bangalore | 12.4.97 | UG | Permitted |
| 4. | Alfarooque Unani Medical College, Bangalore | 31.5.97 | UG | Permitted |
| 5. | Jamia Hamdard Tibbi College, New Delhi | 29.4.97 | UG | Permitted |
| 6 | Unani Medical College, Pune | 28.4.97 | UG | Permitted |
| | State Tak-mil-ul-Tibbi Unani College, Allahabad | 29.5.97 | UG | Permitted |
| 8. | Saifia Hamidia Unani Tibbia College Burhanpur | 2.6.97 | UG | Permitted |
| 9. | Jamia Tibbia Deoband College, Saharnpur | 2-3.6.97 | UG | Permitted |
| | Tibbia College & Hospital, Srinagar | 19-20.6.97 | UG | Permitted |
| | Kashmir Tibbia College & Hospital, Srinagar | 21-22.6.97 | UG | Permitted |
| | Chennai | 2.6.97 | UG | Permitted |
| | Maharshi Charak Ayurved/Unani Medical College, Deoband | 30.6.97 | UG | Permitted |
| 14. | Zuberiya Tibbia College, Jodhpur | 12.6.97 | UG | Permitted |
| 15. | Ibn-e-Sina-Tibbia College, Azamgarh | 9.6.97 | UG | Permitted |
| 10. | Rajputana Tibbi College, Jaipur | 13.6.97 | UG | Not permitted |
| 1/. | State Takmil Utib College, Lucknow | 30.5.97 | UG | Permitted |
| | A&U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi | 8.9.97 | PG | Permitted |
| | KGN Unani Medical College, Dehradun | 12-13.8.97 | UG | Permitted |
| | BLK Unani Medical College, Bijapur | 11.8.97 | UG | Not permitted |
| | Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad | 4.5.8.97 | PG | Permitted |
| 42. | Calcutta Unani Medical College & Hospital, Calcutta | 7-8.8.97 | UG | Permitted |
| | | | | |

UNANI

The salient features of the recommendations made are as under:-

Unani Committee decided to start Post-graduation as a special case at National Institute of Unani Medicine, Bangalore to be made a Centre of Excellence. It was also decided to write a letter to the Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM&H for necessary action and consideration.

The Central Council agreed to the above and decided that the norms laid down by Central Council in its draft Regulation i.e. Centre of Excellence for Ayurved be followed.

Decided that if State Government of Punjab or any other body provides providing Text Books in Hindi or in regional language for the purpose of teaching of Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) course the Council will permit to start BUMS college at Punjab in the Hindi medium.

The Central Council decided that the Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree of Nagpur University, Nagpur be included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

PERMISSION TO NEW UNANI COLLEGES

After assessing the minimum standards and requirements for conducting Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani inconformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council, the Central Council granted permission for starting the Kamile-tib-o-Jarahat Course at the following institutions/colleges:-

- 1. Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore
- 2. Maharshi Charak Unani Medical College, Deoband
- 3. KGN Unani Medical College, Dehradun
- 4. Zuberiya Tibbia College, Jodhpur.

The Central Council noted that Ayurved and Unani Medical Colleges are affiliated to Calcutta University but it is regretted that Faculty of Ayurved/Unani Medicine does not exist till date and these colleges are being run under Faculty of Medicine for smooth functioning of Ayurved/Unani Medical Colleges it is essential to establish Faculty of Ayurveda and Unani Medical colleges in Calcutta University. It was, therefore, decided to request the authorities concerned to Calcutta University to create Faculty of Ayurved and Unani Medicine by making necessary amendments for Statue Ordinance of Calcutta University.

The following Unani Colleges were visited during the year.-

| 5.No. | Name of the College | Date of visitation | UG/PG | Permitted/Not permitted |
|-------|---|--------------------|-------|-------------------------|
| 1. | Deoband Unani Medical College, Nayabans Saharanpur | 7.4.97 | UG | Permitted |
| 2. | Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh New Delhi. | 10.4.97 | UG | Permitted |
| 3. | Govt. Unani Medical College, Bangalore | 12.4.97 | UG | Permitted |
| 4. | Alfarooque Unani Medical College, Bangalore | 31.5.97 | UG | Permitted |
| 5. | Jamia Hamdard Tibbi College, New Delhi | 29.4.97 | UG | Permitted |
| 6 | Unani Medical College, Pune | 28.4.97 | UG | Permitted |
| | State Tak-mil-ul-Tibbi Unani College, Allahabad | 29.5.97 | UG | Permitted |
| 8. | Saifia Hamidia Unani Tibbia College Burhanpur | 2.6.97 | UG | Permitted |
| 9. | Jamia Tibbia Deoband College, Saharnpur | 2-3.6.97 | UG | Permitted |
| 10. | Tibbia College & Hospital, Srinagar | 19-20.6.97 | UG | Permitted |
| 11. | Kashmir Tibbia College & Hospital, Srinagar | 21-22.6.97 | UG | Permitted |
| 12. | | 2.6.97 | UG | Permitted |
| 13. | Maharshi Charak Ayurved/Unani Medical College, Deoband | 30.6.97 | UG | Permitted |
| 14. | Zuberiya Tibbia College, Jodhpur | 12.6.97 | UG | Permitted |
| 15. | Ibn-e-Sina-Tibbia College, Azamgarh | 9.6.97 | UG | Permitted |
| 16. | Rajputana Tibbi College, Jaipur | 13.6.97 | UG | Not permitted |
| 17. | State Takmil Utib College, Lucknow | 30.5.97 | UG | Permitted |
| | A&U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi | 8.9.97 | PG | Permitted |
| | KGN Unani Medical College, Dehradun | 12-13.8.97 | UG | Permitted |
| | BLK Unani Medical College, Bijapur | 11.8.97 | UG | Not permitted |
| | Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad | 4.5.8.97 | PG | Permitted |
| 22. | Calcutta Unani Medical College & Hospital, Calcutta | 7-8.8.97 | UG | Permitted |
| | | | | |

| 10 | 23. | Rajasthan Unani Medical College, | 14.6.97 | UG | Permitted |
|------|-----|-------------------------------------|------------|-------|--------------|
| | | Jaipur | | | |
| 18.3 | 24 | Faculty of Medicine, Jamia Hamdard, | 10.9.97 | PG. | Permitted |
| | | New Delhi | | | |
| 2 | 25. | Unani Medical College, Nanded | 1.6.97 | UG | Not Permitte |
| KON | 26. | Ahmed Gharib Unani College, | 30.8.97 | UG | Permitted |
| | | Akkalkuan | | | |
| | 27. | Govt. Unani Tibbi College, Patna | 14-15.7.97 | UG | Permitted |
| | 28. | Ajmal Khan Tibbi College, AMU, | 15,9.97 | UG/PG | Permitted |
| | | Aligarh | | | |
| 800 | 29. | ZH Unani Medical College & | 16.7.97 | UG | Permitted |
| | | Hospital Siwan | | | |
| 2000 | 30. | Allamma Iqbal Unani Medical | 19.8.97 | UG | Permitted |
| | | College, Muzaffarnagar | | | |
| 0 | 31. | Mohammedia Tibbia College, | 22-23.9.97 | UG | Permitted |
| | 608 | Malegaon, Nasik | | | |
| | | | | | |

SIDDHA

It was decided that Workshops to review the Curriculum and Syllabus of Undergraduate course of Siddha be organised at Chennai and to review the Curriculum & Syllabus of Post-graduate course of Siddha Medicine at Palayamkottai.

It was noted that the post of Vice-President (Siddha) is vacant as the tenure of the former Vice-President (Siddha) Dr. V Subramaniam was over in the Dr. MGR University, Chennai long ago.

The Siddha Committee unanimously decided that the Vice-Chairman, Siddha Education Committee, Dr. V Arunachalam shall act as Vice-President (Siddha) in Central Council.

Decided that Siddha Committee will visit Government Siddha Medical College, Chennai on 24.4.98 and the Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai on 6.5.98.

REGISTRATION

It was noted that the Central Register of Indian Medicine upto March, 1991 except for a few states had been initiated for preparation of Central Register for the period from April, 1991 to March, 1994. State Boards have been requested to furnish copy of their State Register upto March, 1998 so that Central Register may be prepared.

It was noted that the Registration Committee had constituted a Sub-commit-

tee for Assam, Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir to have the discussion with the State Board of Indian Systems of Medicine, Director of State, Health Secretaries and if possible with the concerned Health Minister in matter of non supply of copies of the State Register for preparation of Central Registration of Indian Medicine and other registration issues relating to registration. It was noted that a Sub-committee constituted for Assam to hold the meeting/discussion with Registrar, Board of Ayurvedic Medicine, Assam and with the Commissioner and Health Secretary, Health & Family Welfare, Government of Assam, Guwahati on 5.5.97. After visit of the Committee the State Government of Assam has constituted the Assam State Council of Indian Medicine for registration in their State.

It was further noted that the sub-committee constituted for Uttar Pradesh to hold meetings/discussion with the Secretary, Medical Education, Government of Uttar Pradesh, Director, Bharatiya Chikitsa Padhiti Lucknow and Registrar, Bharatiya Chikitsa Parishad on 28/29.5.97.

Decided that after every five years Identity Cards be renewed and fresh Identity Cards be issued to the practitioners by the State Council by charging prescribed fee by the concerned State Boards/Council.

The Central Council decided that every State Board should grant registration only to those persons who possess recognised medical qualification included in the Schedules to the IMCC Act, 1970. It was also decided that a letter to this effect be sent to the Secretary to the State, Director of ISM and Registrars of the Registration Boards/Councils.

It was decided that there should be a Local Registration Committee member, CCIM members in each State Boards and he should be authorised to inspect the State Board as and when required and to see whether registration is made upto date.

It was decided that the practitioners in ISM residing in the State/Union Territories where there is no Board/Council of ISM should apply for certificate through State Board to this Council. They can obtain certificate of entry of their names in Central Register of Indian Medicine on payment of Rs 50/-. They need not apply for direct registration.

It was resolved to write to the Secretary, Government of Assam thanking the Government for constitution of Assam State Council of Indian Medicine. It was also resolved to write to Council for changing the nomenclature as the State Council of Indian Medicine, Assam.

It was also decided to request that since the State Council is newly formed all the three existing members of CCIM representing Assam State be incorporated to the newly formed Council which will enable for proper functioning.

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1997-98 and released/sanctioned by the government are as under:

| | NON-PLAN Rs. in lakh | PLAN Rs. in lakh |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1. Budget Estimates 1997-98 (Approved by the Council) | 102.30 | 106.00 |
| 2. Budget Estimates 1997-98 (Sanctioned by the Ministry) | 31.00 | 30.00 |
| (Approved by the Council) | 71.64 | 30.00 |
| 4. Revised Estimates 1997-98 (Sanctioned by the Ministry) | 42.00 | 27.00 |
| 5. Grant-in-aid released by Ministry | 42.00 | 27.00 |
| | | |

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for different categories is under:-

| 1. | Scheduled Caste | F |
|----|------------------------|-------|
| 2. | Schedule Tribe | Four |
| 3. | Physically Handicapped | Three |
| 4 | Ex-serviceman | Two |
| | Lx-serviceman | One |

FUTURE PROGRAMME

- To review the existing Curriculum and Syllabus for Graduate and Postgraduate courses of Ayurved, Unani and Siddha through organising Workshops in this context.
- 2. Steps to check mushroom growth of sub-standard colleges of Indian Medicine.
- 3. Steps to check unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners of Indian Medicine.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES New Delhi-110002

No.A.M.G.11/S.A.R./CCIM/98-99/425

Dated 23.2.99

> Sd/-Meenakshi Gupta Director of Audit (Inspection-II)

No.: O.A.11/S.A.R./CCIM/98-99/426

Dated 23.2.99

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Singh Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 441-Report (Health Deptt.)/240-98 dated 10.12.98.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/-Director of Audit (Inspection)

Encl. : As above.

Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1997-98

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian System, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1977 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs 42 lakh under Non-Plan and Rs 27 lakh under Plan during the year 1997-98.

2. Comments on Accounts

2.1 Depreciation on assets

The assets accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irrepairable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipt and Payment Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation may result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. In absence of such reconciliation the correctness of cash at bank vis-a-vis closing balance in the cash book shown in accounts could not be verified.

Director General of Audit Central Revenues

Place:- New Delhi Date:- 23.2.99

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1998, and the Balance Sheet as on 31st March, 1998 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-Director General of Audit Central Revenues

Place: New Delhi Date: 23.2.99

CENTRAL COUNCIL OF NEW

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

| RECEIPTS | N | ON PLAN | PLAN | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | |
| OPENING BALANCE AS ON 1.4.97 | 7 | | | |
| Cash in hand | 21,724 | | | |
| Cash at Bank | 1,42,117 | | 99,875 | 00.0- |
| Grant-in-aid received from | | 7,03,041.00 | 99,873 | 99,875 |
| Ministry of Health & Family Welfare, | | | | |
| New Delhi during 1997-98 | | 42,00,000.00 | | 27,00,000 |
| RECOVERY OF ADVANCES | | | | 27,00,000 |
| Festival Advance | 100 | | | |
| Scooter Advance | 13,260 | | | |
| House Building Advance | 6,120 | | | |
| | 20,400 | 39,780 | | - |
| MISCELLANEOUS REMITTANCES | 5 | | | |
| General Provident Fund | 3,80,322 | | | |
| Income Tax | 16,388 | | | |
| Postal Life Insurance | | 4,38,686.00 | | |
| RECEIPTS OTHER THAN GRANT- | - | | | 37 (1) |
| IN-AID | | | | |
| Pension Contribution | 2 712 00 | | | - 1 |
| Pension Contribution | 3,712.00 3,712.00 | | | |
| C.G.H.S. Subscription from employees | 2,260.00 | | | |
| J.P. Fund Interest | 3,303.48 | | | |
| Staff Car Recovery from Employees | 400.00 | 13,085.48 | | |
| RECOGNITION FEE | | 20,000.40 | | |
| ce - 1992-93 to 1996-97 | 1,45,000 | | | |
| ee - 97-98 | 1,43,000 | | | |
| ce - New Colleges 1997-98 | 8,70,000 | He start by | | |
| ee - Received in excess 1997-98 | 1,35,000 30 | 28 000 00 | | |

78,83,392.48

27,99,875

Balance C/F

Balance C/F

INDIAN MEDICINE DELHI

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998

| PAYMENTS | NO | N PLAN | PLAN | | |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|----------|--|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | |
| 1 PAY & ALLOWANCES | | | | | |
| Pay of Officer | 36,775 | | | | |
| Pay of Establishment | 6,08,607 | | | | |
| Non Practising Allowance | 17,400 | | | | |
| Post Graduate Allowance | 2,400 | | | | |
| Dearness Allowance | 8,89,073 | | | | |
| House Rent Allowance | 1,58,784 | | | | |
| City Compensatory Allowance | 25,776 | | | | |
| Interim Relief I | 34,474 | | | | |
| Interim Relief II | 52,182 | | | | |
| Interim Relief III | 52,182 | | | | |
| Conveyance Allowance | 1,724 | | | | |
| Washing Allowance | 1,605 | | | | |
| Bonus | 65,529 | | | | |
| Tution Reimbursement | 1,500 | | | | |
| Medical Reimbursement | 8,447 | | | | |
| C.G.H.S. Contribution | 38,368 | | | | |
| Leave Travel Concession | 9,456 | | | | |
| Wages to Employees | 29,280 | | | | |
| Overtime Allowance | 24,437 | | A SECTION | | |
| Transport Allowance | 5,200 | | | | |
| Arrear of Pay Commission | 2,51,836 | 23,15,035.00 | | | |
| 2. CONTINGENCIES | | | | | |
| (a) Non Recurring Nature | | | | | |
| Furniture & Fixture | 4,598 | | 92,570 | | |
| Office Equipment | 12,005 | | | | |
| Books for Library | | 16,603.00 | 95 282 | 1,87,852 | |

1,87,852

23,31,638

Balance B/F

| | 3(| | |
|--|----|--|-------------|
| Balance B/F. Advance of Postage 1996-97 | | 78,83,392.48 5,000.00 | 27,99,875 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ALX LESS TO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | \$ 10 mm | |
| | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | |
| | | | |

| Balance B/F | |
|--|---|
| | 23,31,638.00 |
| (b) Recurring Nature | 1,87,852 |
| Stationery | 70.00 |
| Telephone | 70,861 1 10,530 38,625 |
| Postage & Telegram | 1,10,330 |
| Newspapers & | 33,114 |
| Periodical Books | 10,000 |
| Liveries Expenses | 5,644 |
| Audit Fee | 10,284 |
| Legal Expenses | 42,700 |
| Advertisement | 1,01,550 |
| Maintenant | |
| Maintenance of Office Equipme | ent 26,759 1,11,600 |
| Start Car Expenses | 20,739 |
| Computer Expenses | 35,483 |
| Publication | 10,500 |
| Conveyance Expenses | 2,24,510 |
| Miscellaneous Expenses | 11,964 |
| | 1,11,303 8,11,111.00 1,96,483 3,56,708 |
| 2 TD AND | 1,96,483 3,56,708 |
| 3. TRAVEL EXPENSES | |
| President/Vice President | |
| Secretary/Establishment | 36,007 |
| Selection/DPC Committee | 79,839 |
| Executive Committee | 21,126 |
| Regulation Committee | 1,83,473 |
| Sub Committee | 20,643 |
| Visiting Committee | 2,60,840 |
| Members of C | 11,43,824 |
| Members of Central Council | 4,19,666 |
| Workshops of Ayurved & Unani Seminar | 7,12,000 |
| Semmar | 10,71,877 |
| 4 ADVAN | <u></u> 21,65,418.00 6,22,763 17,13,014 |
| 4. ADVANCES TO EMPLOYEES Festival Advances | |
| | |
| House Building Advance | 15,600 |
| - Tartanec | 59,000 74,600.00 |
| | |
| 5. RECOGNITION FEE REFUND | |
| TO COLLEGES | 30,000.00 |
| | 20,000.00 |
| 6. CONTRIBUTION | |
| 6. CONTRIBUTION TOWARDS PENSION FUND | 8 90 750 00 |
| TOND | 8,80,750.00 |
| 7. MISCELLAND | |
| 7. MISCELLANEOUS REMITTANC | CES |
| General Provident Fund Income Tax | |
| | 3,80,322 |
| Postal Life Insurance | 16,388 |
| | 41,976 4,38,686.00 |
| 8. CLOSING BALANCE AS ON 31-3-1998 | |
| 31-3-1998 BALANCE AS ON | |
| Cash in hand | |
| Cash at Rank | 63,644.00 |
| Postage Stamp | 10,85,372.48 |
| stamp | 7,173.00 11,56,189.48 5,42,301 5,42,301 |
| | 11,50,189.48 |
| TOTAL | |
| | 79 90702 10 |

TOTAL

78,88,392.48

27,99,875

78,88,392.48

27 00 075

CENTRAL COUNCIL OF NEW

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS

| | EXPENDITURE | NO | N-PLAN | PLAN | | |
|------------|--|--|--------------|--------|--------|--|
| _ | | AMOUN | T AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | |
| 1. | PAY AND ALLOWANCE | | | | | |
| | Pay of Officers | 26 77 | | | | |
| | Pay of Establishment | 36,77 6,08.60° | | | | |
| | Non Practising Allowance | | | | | |
| | Post Graduate Allowance | 17,400 2,400 | | | | |
| | Dearness Allowance | (a) C (30) | | | | |
| | House Rent Allowance | 8,89,073 1,58,784 | | | | |
| | City Compensatory Allowance | Control of the Contro | | | | |
| | Interim Relief-I | 25,776 34,474 | | | | |
| | Interim Relief-II | 52,182 | | | | |
| | Interim Relief-III | 52,182 | | | | |
| | Conveyance Allowance | 1,724 | | | | |
| | Washing Allowance | 1,605 | | | | |
| | Bonus | 65,529 | | | | |
| 5 <u>5</u> | Tuition Reimbursement | 1,500 | | | | |
| | Medical Reimbursement | 8,447 | | | | |
| | CGHS Contribution | 38,368 | | | | |
| | Leave Travel Concession | 9,456 | | | | |
| | Wages to Employees | 29,280 | | | | |
| | Overtime Allowance | 24,437 | | | | |
| | Transport Allowance | 5,200 | | | | |
| | Arrears of Pay Commission | 2000 | 22 15 025 00 | | | |
| | a superintial of the superintial | 2,31,030 | 23,15,035.00 | | | |
| 2. | CONTINGENCIES | | | | | |
| | Stationary | 70,861 | • | 20.625 | | |
| | Telephones | 1,10,530 | A - 8 - 4 | 38,625 | | |
| | Postage & Telegramme | 33,114 | | 10.000 | | |
| | Newspapers & Periodical Books | 5,644 | | 10,000 | | |
| | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | 5,044 | | | 4 | |
| Bala | nnce C/F | 2,20,149 | 23,15,035.00 | 48,625 | NII I | |

INDIAN MEDICINE DELHI

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998.

| INCOME | NON-P | LAN | PLAN | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUN | |
| | A.W. | | | e ac | |
| Grant-in-aid received | | | | | |
| from Ministry of Health | | | | | |
| & Family Welfare, New Delhi | | | | | |
| during 1997-98 | 42,00,000 | | 27,00,000 | | |
| Less-Grant Capitalise | 16,603 | 41,83,397.00 | 1,87,852 | 25,12,148 | |
| MISCELLANEOUS RECEIPT | S | | | | |
| CGHS Subscription | 2,260.00 | | | | |
| from Employees | | | | | |
| Leave Salary Contribution | 3,410.00 | | | | |
| Pension Contribution | 3,712.00 | | | | |
| G.P. Fund Interest | 3,303.48 | | | | |
| Staff Car recovery from Employee | 400.00 | 13,085.48 | | | |
| Recognition fee recoverable | 400.00 | 13,083.48 | | _ | |
| for 1997-98 | | 36,40,000.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | * | | | |
| | | | | | |
| | | The state of | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Balance C/F | | 78,36,482.48 | - | 25,12,148 | |

| | Balance C/F | 2,20,149 | 23,15,035.0 | 00 48,625 | | Balance B/F | | 78,36,482.48 | 25,12,148 |
|----|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--|----------------|---|-----------------|
| | Liveries Expenses | 10,284 | | 781 | -110 | | | | |
| | Audit Fee | 42,700 | | | | | | | |
| | Legal Expenses | 1,01,550 | | OK | | | | | |
| | Advertisement | 15,909 | | 1,11,600 | | | | | |
| | Maintenance of Office Equipment | 26,759 | | Kall | | | | A CARLON | |
| | Staff Car Expenses | 35,483 | | | | | | | |
| | Computer Expenses | 10,500 | | - | | | | | |
| | Publication | 2,24,510 | | - | | | | | |
| | Conveyance Expemses | 11,964 | | - | | | | | SE LUXINE |
| | Miscellaneous Expenses | 1.11,303 | 8,11,111.00 | 1,96,483 | 3,56.708 | | 1 | | cultific eight? |
| | | | | | | | | | |
| 3. | TRAVEL EXPENSES | | | SHIP X | | | | | |
| | President/Vice President | 36,007 | | | | - | and the second | | |
| | Secretary/Establishment | 79,839 | | | | THE PERSON | | | |
| | Selection/DPC Committee | 21,126 | | YERR - | | | | | The Part of the |
| | Executive Committee | 1,83,473 | | | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | |
| | Regulation Committee | 20,643 | | Trivia- | | | | | |
| | Sub Committee | 2,60,840 | | 18,374 | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | |
| | | 11,43,824 | | - | | THE STATE OF THE S | | | |
| | Members of Central Council | 4,19,666 | | CONTRACT LANGE | | | | | |
| | Workshop of Ayurved & Unani | | | 10,71,877 | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | |
| | Seminar | | 21,65,418.00 | 6,22,763 | 17,13,014 | | | N. C. | |
| 4. | Recognition Fee refund to College | es | 30,000.00 | | 1/2 | 1 | | | |
| 5. | Contribution toward Pension Fund | | 8,80,750.00 | | - | - 3600 | | | |
| 6. | Excess of Income over Expenditur | re | 16,34,168.48 | | 4,42,426 | To the second | | | |
| | TOTAL | | 78,36,482.48 | - | 25,12,148 | TOTAL | | 78,36,482.48 | 25,12,148 |

NEW

| LIABILITIES | NON | PLAN | PLAN | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| GENERAL RESERVE | | | | |
| Assets acquired the day of Estt. | | | | |
| As per last Balance Sheet | | 20,080.15 | | _ |
| Assets acquired out of Grant-in-Aid | | | | |
| As per last Balance Sheet | 5,09,880.30 | | 5,60,906.32 | |
| Redemption 1996-97 | 65,503.78 | | 2,32,159.62 | |
| | 4,44,376.52 | | 3,28,746.70 | |
| Addition during the year | 16,603.00 | | 1,87,852.00 | |
| | 4,60,979.52 | | 5,16,598.70 | |
| Transferred during the year | 3,28,746.70 | 7,89,726.22 | 3,28,746.70 | 1,87,852 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE DELHI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1998

| ASSETS | NO | N PLAN | PLAN | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| A) NON-RECURRING NAT | URE | | | |
|) Furniture & Fixture | | | | |
| As per last Balance Sheet Less: Transferred to | 1,93,880.65 | | 42,687.76 | |
| office equipment | 36,620.00 | | | |
| 1020 | 157.260.65 | | 42.687.76 | |
| Redemption 1996-97 | 17,409.85 | | | |
| The second second | 1,39,850.80 | | 42.687.76 | |
| Addition during the year | 4.598.00 | | 92,570.00 | |
| | 1,44,448.80 | | 1.35,257.76 | |
| Transferred during the year | 49.248.16 | 1.93.696.96 | 42,687.76 | 92.570 |
| 2) Air Cooling Appliances | | | | |
| As per last Balance Sheet Less: Transferred to | 23.640.73 | | 26,789.80 | |
| Office equipment | 1,300.00 | | | |
| | | | 26,789.80 | |
| Redemption 1996-97 | | 22,340,73 | 26.789.80 | |
| 3) Books for Library | | | | |
| As per last Balance Sheet | 30.574.91 | | \$ | |
| Adddition during the year | | 30,574.91 | 95.282.00 | 95.282 |
| 4) Office Equipment As per last Balance Sheet Add: Transferred from | 2,81,864.16 | | 4.91.428.76 | |
| Furniture & Fixture & Air Cooling Appliances | 37.920.00 | | - | |
| | | | | |
| Balance C/F | 3,19,784.16 | 8,09,806.37 | 4,91,428.76 | 1,87,85 |

45,00,093.85

TOTAL

45,00,093.85

7,50,113

| Balance B/F | 8,09,806.37 | | 1,87,852 | Balance B/F 3,9784.16 8,09,806.37 4,91,428.76 1,87,852 |
|---|---|----------|----------|---|
| D CI D | | | | Redemption 1996-97 48,093,93 2,05,369.82 |
| Excess of Income over Expend As per Last Balance Sheet | 18,75,119.00 | 1,19,835 | | 2,71,690.23 2,86,058.94 |
| Addition during the year | 16,34,168.48 35,09,287.48 | 4,42,426 | 5,62,261 | Addition during the year 12,005.00 2,83,695.23 2,86,058.94 |
| | | | | Transferred during the year 2,79,498.54 5,63,193.77 2,86,058.94 |
| As per last Balance Sheet Less: Adjusted in year | 1,59,000.00 1,13,000.00 46,000.00 | | - | (B) RECURRING NATURE 1. Telephone |
| Addition during the year | 1,35,000.00 1,81,000.00 | | | As per last Balance sheet 9,228.00 9,228.00 19,960.00 19,960 2. Festival Advance |
| | | | | Addition during the year15,600.00_ |
| | | | | 26,880.00 Recovery during the year 13,260.00 13,620.00 |
| | | | | 3. Scooter Advance |
| | | | | As per last Balance Sheet 16,170.00 Recovery during the year 6,120.00 10,050.00 |
| | | | | |
| | | | | 4. House Building Advance As per Last Balance Sheet 1,99,600.00 |
| | | | | Addition during the year 59,000.00 |
| | | | | 2,58,600.00 |
| | | | | Recovery during the year 20,400.00 2,38,200.00 — |
| | | | | |
| | | | 4 | 5. Advance Postage |
| | | | | As per Last Balance Sheet 5,000.00 |
| | | | | Redemption during the year 5,000.00 — — — |
| | | | | |
| | | | | 6. Recognition Fee |
| | | | | As per Last Balance Sheet 16,29,000.00 Less: Recovery 1,45,000 |
| | | | | Adjusted 1,13,000 2,58,000.00 |
| | | | | 13,71,000.00 |
| | | | | Addition during the year 8,92,000.00 22,63,000.00 — |
| | | | | 7. Closing Balance as on 31.3.1998 |
| | | | | Cash in hand 63,644.00 — |
| | | | | Cash at Bank 10,85,372.48 5,42,301 5,42,301 Postage Stamp 7,173.00 11.56,189.48 |
| | | | | |

7,50,113

TOTAL

CENTRAL COUNCIL OF NEW GENERAL PROVIDENT RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

| RECEIPTS | AMOUNT | AMOUNT |
|--|-------------|-------------|
| Opening Balance as on 1.4.97 in Saving Bank Account | | 2,24,798.28 |
| Subscription by Employees | 2,40.212 | |
| Recovery of Loan form Employees | 1,40,050 | 3.80.262.00 |
| Short Term Deposit matured | | 90,000.00 |
| Interest earned from Bank | 1.44,230,48 | |
| Less: Transferred to Council Account | 3,303.48 | 1,40,927.00 |
| TOTAL | | 8,35,987.28 |

INDIAN MEDICINE DELHI FUND FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998

| PAYMENTS | AMOUNT | AMOUNT |
|---|-------------|-------------|
| Advance to Employees | 2,92,900.00 | |
| Part/Final withdrawal to Employees | 2,96,216.00 | 5,89,116.00 |
| Investment in Short Term Deposits in E | ank | 1,90,000.00 |
| Bank Charges | | 25.00 |
| Closing Balance as on 31.3.1998 in Saving Bank Account with State Bank | of India | 56,846.28 |
| TOTAL | | 8,35,987.28 |

CENTRAL COUNCIL OF NEW GENERAL PROVIDENT BALANCE SHEET AS ON

| 1996-97 | LIABILITIES | MOUNT | AMOUNT |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 17,43,898.28 | As per last Balance Sheet | 14,78,248.28 | |
| | ADDITION DURING THE YE | AR | |
| 2.37,541.00 | Subscription | 2,40,212.00 | |
| 1,72,822.00 | Interest | 1,40,927.00 | |
| 21,54,261.28 | | 18,59,387.28 | |
| 6,76,013.00 | Less: Redeemed | 2,96,241.00 | 15,63,146.28 |
| 14,78,248.28 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,78,248.28 | TOTAL | | 15,63,146.28 |

INDIAN MEDICINE DELHI FUND 31ST MARCH, 1998

| 1996-97 | ASSETS | AMOUNT | AMOUNT |
|--------------|--|--------------|--------------|
| | 1. INVESTMENTS | | |
| | (a) Special Deposit Scheme | | |
| 1,70,500.00 | As per last Balance Sheet | | 1,70,500.00 |
| 1,70,500.00 | (b) Double Benefit/Short Term D | eposits | |
| 13,00,000.00 | As per last Balance Sheet | 9,00,000.00 | |
| 9,00,000.00 | Addition during the year | 1,90,000.00 | |
| 22,00,000.00 | | 10,90,000.00 | |
| 13,00,000.00 | Less: Redeemed | 90,000.00 | 10.00,000.00 |
| 9,00,000.00 | | | |
| | 2. Advances to Employees | | |
| 2,21,730.00 | As per Last Balance Sheet | 1,82,950.00 | |
| 1,55,900.00 | Addition during the year | 2,92,900.00 | |
| 3,77,630.00 | | 4,75,850.00 | |
| 1,94,680.00 | Less: Recovery during the year | 1,40,050.00 | 3,35,800.00 |
| 1.82,950.00 | | Anne a Lei | |
| BENTA. | 3. Closing Balance as on 31.3.98 in Saving Bank Accounts | | |
| 2,24,798.28 | | | 56,846.28 |
| 2,24,798.28 | | | |
| 14,78,248.28 | TOTAL | | 15,63,146.28 |

CENTRAL COUNCIL OF NEW PENSION-CUMRECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS FOR

| RECEIPTS | AMOUNT | AMOUNT |
|--|--|--------------|
| Opening Balance as on 1-4-97 | THE PROPERTY OF | |
| in Saving Bank Account with Bank of India | 2,06,606.40 | |
| | The state of the s | 0.10./55.70 |
| State Bank of India | 6,049.30 | 2,12,655.70 |
| | | |
| Contribution during the year | | 8,80,750.00 |
| Interest earned from Bank | | 1,48,124.00 |
| Short Term Deposits Matured | | 4.00,000.00 |
| | | 17 41 720 40 |
| TOTAL | | 16,41,530.10 |

INDIAN MEDICINE DELHI GRATUITY FUND THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1998

| | AMOUNT |
|------------------------------------|--------------|
| PAYMENTS | 1,65,305.00 |
| Monthly Pension to Employees | 1,03,303.00 |
| | 45,923.00 |
| Final Payment to Employees | 8,87,960.00 |
| Investment in Short Term Deposists | 65.00 |
| Bank Charges | |
| Closing Balance as on 31-3-98 | |
| in Saving Bank Account with | 5,42,277.10 |
| State Bank of India | |
| | 16,41,530.10 |
| TOTAL | |
| | |

CENTRAL COUNCIL OF NEW PENSION-CUM-BALANCE SHEETS AS

| As per last Balance Sheet Addition during the year | 6,12,655.70 8,80,750.00 | 4444 |
|---|----------------------------|--------------|
| Addition during the year | 8 80 750 00 | |
| | 0,00,720.00 | |
| Interest | 1,48,124.40 | |
| | 16,41,530.10 | |
| Less: Redeemed | 2,11,293.00 | 14,30,237.10 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 14,30,237.10 |
| | Less: Redeemed | |

INDIAN MEDICINE DELHI GRATUITY FUND ON 31ST MARCH, 1998.

| 1996-97 | ASSETS | AMOUNT | AMOUNT |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | Investments | | |
| 9,50,000.00 | As per last Balance Sheet | 4,00,000.00 | |
| 3,50,000.00 | Addition during the year | 8,87,960.00 | |
| 13,00,000.00 | | 12,87,960.00 | |
| 9,00,000.00 | Less: Redeemed | 4,00,000.00 | 8,87,960.00 |
| 4,00,000.00 | | | |
| 2,12,655.70 | Closing Balance as on 31-3- | 98 | |
| 2,12,655.70 | in Saving Bank Account | | 5,42,277.10 |
| 6,12,655.70 | TOTAL | | 14,30,237.10 |